भाग 3 कन्यासंप्रयुक्तकं

अध्याय 1 वरण संविधान प्रकारण

श्लोक-1. सवर्णायामनन्यपूर्वायां शास्त्रतोऽधिगतायां धर्मोऽर्थः पुत्राः संबंधः पक्षवृद्धिरनुपस्कृता रतिश्च।।1।।

अर्थः कन्या की शादी का विधान बताते हुए वात्स्यायन कहते हैं- कि जो युवक अपनी ही जाति की युवती के साथ शास्त्रों के नियम के अनुसार विवाह करता है, उसे बिना किसी कष्ट के धर्म, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे पुरूष को पत्नी से बेहद प्यार मिलता है, उसकी सेक्स पॉवर बढ़ती है और सेक्स का भरपूर आनन्द मिलता है।

श्लोक-2. तस्मात्कन्यामभिजनोपेतां मातापितृमतीं त्रिवर्षत्प्रभृति न्यूनवयसं श्लघ्याचारे धनवति पक्षवति कुले संबंधिप्रिये संबंधिभिराकुले प्रसूतांप्रभूतमातृपितृपक्षांरूपशीललक्षणसंपन्यनाधिकाविनष्टदन्तखकर्णकेशाक्षि-स्तनीमारोगिप्रकृतिशरीरां तथाविध एवं श्रुतवान्शीलयेता।।2।।

अर्थः शास्त्रों में कहा गया है कि युवक को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो उसकी जाति की हो और उसमें उस जाति के सभी गुण मौजूद हों, माता-पिता का साथ हो, लड़की उससे तीन साल छोटी हो, सुशील-शलीन बर्ताव करने वाली हो, अमीर घर की हो, जिसका परिवार प्रतिष्ठित और लोकप्रिय हो, जिसके रिश्तेदार भी ऐसे ही हो, माता-पिता के अलावा घर में अन्य सदस्य भी हो और उनमें गहरा प्रेम हो, जो लड़की स्वयं शील व सुन्दरता संपन्न हो जिसके दांत, नाखून, कान, बाल, आंखे, स्तन न बहुत बड़े हो और न ही बहुत छोटे।

श्लोक-3. यां गृहीत्वा कृतिनमात्मानं मन्येत न च समानैर्निन्येत तस्यां प्रवृत्तिरिति घोटकमुखः।।3।।

अर्थः आचार्य घोटकमुख कहते हैं कि जिस कन्या से शादी करके पुरूष अपने को धन्य समझे और जिससे शादी करने पर सदाचारी मित्रगण तारीफ करें, बुराई न करें, ऐसे ही लड़की से शादी करनी चाहिए।

श्लोक-4. तस्या वरणे मातापितरौ संबंधिनश्च प्रयतेरन्। मित्त्राणि च गृहीतवाक्यान्यभयसंबद्धानि।।4।।

अर्थः इस तरह के गुणों से सम्पन्न कन्या को विवाह के लिए माता-पिता तथा सगे-संबंधियों को कोशिश करनी चाहिए। दोनों तरफ के दोस्तों को भी इस संबंध को बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

श्लोक-5. तान्यन्येषां वरयितृणां दोषान्प्रत्यक्षानागमिकांश्च श्रावयेयुः। कौलान्पौरुषेयानश्चभिप्रायसंवर्धकांश्चः।।5।।

अर्थः ज्यादातर दोस्तों की यही प्रवृत्ति होती है कि वे अपने दोस्त की कुलीनता, उसके पौरूष, शील आदि की तारीफ करते हैं और लड़की के घर वालों से उसके कार्य और गुणों के बारे में बताते हैं। वे अपने दोस्त से उन्हीं के प्रत्यक्ष तथा आगामी गुणों का बखान करते हैं जिन्हें लड़की की मां और घर वाले पसंद करते हैं।

श्लोक-6. दैवचिन्तकरुपश्च शकुननिमित्तग्रहलग्नबललक्षणदर्शनेन नायकस्य भविष्यन्तमर्थसंयोगं कल्याणमनुवर्णयेत्।।6।।

अर्थः लड़के के घर से सिखाकर भेजा गए व्यक्ति को लड़की के घर जाकर लड़का का जन्मकुण्डली, ग्रहों तथा लग्न स्थान के अनुसार उसकी लड़की के लिए शादी के योग्य बताएं। लड़के की मां को लड़के की शादी से होने वाले महान आर्थिक लाभ और उसके कल्याण का अनुभवासिद्ध वर्णन करें।

श्लोक-7. अपरे पुनारस्यान्यतो विशिष्टेन कन्यालाभेल कन्यामातरमुन्मादयेयुः।।7।।

अर्थः मां के पास भेजे जाने वाले व्यक्ति को चाहिए कि लड़की की मां को लड़के के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर कहें। उसे कहें कि आप अपनी लड़की की शादी जिस लड़के से करना चाहते हैं वह लड़का आपकी लड़की के लिए बिल्कुल ठीक है। उसकी मां को समझाते हुए कहे कि आपको अपनी लड़की की शादी उसी लड़के से करना चाहिए क्योंकि वही लड़का आपकी लड़की के लिए अच्छा जीवन साथी बन सकता है।

श्लोक-8. दैवनिमित्तशकुनोपश्रुतीनामानुलोम्येन कन्यां वरयेद्द्याच्चा।।8।।

अर्थः लड़का-लड़की के माता-पिता को चाहिए कि वे लड़का-लड़की को दैव तथा ग्रह नक्षत्र की अनुकूलता देखकर षष्ठ और अष्ट योगों को बचाकर और निनित तथा शकुन पूछकर आधी रात के वक्त की उपश्रुति ग्रहण कर लड़का-लड़की की शादी कराएं।

श्लोक-9. न यद्दच्छया केवलमानुषायेति घोटकमुखः।।9।

अर्थः आचार्य घोटकमुख का मानना है कि केवल लड़का-लड़की के माता-पिता को ही अपनी इच्छा से विवाह तय नहीं करना चाहिए बल्कि परिवार और संबंधियों की सलाह लेकर ही शादी तय करनी चाहिए।

श्लोक-10. सुप्तां रूदतीं निष्क्रान्तां परणे परिवर्जयेत्।।10।।

अर्थः लड़के को ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए जो अधिक सोती है, झगड़ालू हो, जल्दी रोने वाली हो, अधिक घूमने वाली हो और परिवार में झगड़ा कराने वाली हो।

श्लोक-11. अप्रशस्तनामधेयां च गुप्तां दत्तां घोनां पृषतामृषभां विनतां विकटां विमुण्डां शुचिदूषितां सांकरिकीं राकां फलिनीं मित्त्रां स्वनुजां वर्षकरीं च वर्जयेत्।।11।।

अर्थः ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए जिसके नाम भद्दे व अटपटे हो। ऐसी लड़की जिसे लोगों के बीच बैठना अच्छा नहीं लगता, अकेली रहना पसंद करती है, भूरे बाल हो, सफेद दाग हो, बड़ी नितम्ब (हीप्स) हों, गर्दन झुकी हो, जिसका शरीर पुरूष के समान तगड़ा एवं हृष्ट-पुष्ट हो, सिर में कम बाल हो, जिसमें लज्जा व शर्म का भाव न हो, गूंगी हो, जिसे बचपन से जानते हो, पूरी तरह युवती नहीं हुई हो, जिसके हाथ-पैर पसीजते हो आदि। इस तरह के अवगुणों वाली लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए।

श्लोक-12. नक्षत्राख्यां नदीनाम्नीं च गर्हिताम्। लकाररेफोपान्तां च वरणे परिवर्जयेत्।।12।।

अर्थः ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए जिसका नाम नक्षत्र, नदी या पेड़ के नाम पर हो। जिसके नाम के अंत में 'ल' या 'र' अक्षर हो उससे भी शादी नहीं करनी चाहिए।

श्लोक-13. यस्यां मनश्चक्षुषोर्निबन्धस्तस्यामृद्धिः। नेतरामाद्रियेत। इत्येके।।13।।

अर्थः कुछ ज्योतिष शास्त्रों का कहना है कि जिस लड़की से लड़के की आंखे और मन मिल जाए उससे विवाह करने में सुख और आनन्द की वृद्धि होती है। यदि शादी करने वाली लड़की से मन और आंखें न मिलती हो तो उस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए।

श्लोक-14. तस्मात्प्रदानसमये कन्यामुदारवेषांस्थापयेयुः। अपराह्णिकंच। नित्यंप्रासाधितायाः सखीभिः सह क्रीडा। यज्ञविवाहादिषु जनसंद्रावेषु प्रायत्निकं दर्शनम्। तथोत्सवेषु च। पण्यसधर्मत्वात्।।14।।

अर्थः यदि लड़की युवती हो जाए और शादी के योग्य हो गई हो तो उसके मां-बाप को चाहिए कि उसे सुन्दर वस्त्र पहनाये और सजने सवंरने दें। युवती होने पर लड़की को सज-संवरकर शाम के समय अपनी सहेलियों के साथ बागों में खेलने जाना चाहिए। मां-बाप का कर्तव्य है कि जब लड़की युवती हो जाए तो उसे शादी, पार्टी, उत्सवों और यज्ञों में अच्छे कपड़े पहनाकर और साज-सवार कर ले जाएं। इस तरह सजने-संवरने से लड़की की ओर लड़के का आकर्षण बढ़ेगा। जिस तरह सजावट को देखकर लोग उस ओर आकर्षित होते हैं उसी तरह लड़की युवती होने पर जब सजती-संवरती है तो लड़के उसकी ओर आकर्षित होते हैं।

श्लोक-15. वरणार्थमुपगतांश्च भद्रदर्शनान प्रदक्षिणवाचश्च तत्संबन्धिसंगतान् पुरूषान्मंगलैः प्रतिगृह्णीयुः।।15।।

अर्थः लड़की के माता-पिता को चाहिए कि जब लड़के के घर वाले लड़की को देखने आए तो उसे अच्छे-अच्छे पदार्थों से उनका स्वागत करना चाहिए।

श्लोक-16. कन्यां चैषामलंकृतामन्यापदेशेन दर्शयेयुः।।16।।

अर्थः माता-पिता को चाहिए कि वह अपनी लड़की को अच्छे वस्त्र पहनाकर, आभूषण पहना कर और साज-सवांर कर लड़के और उसके परिवार वाले को दिखाएं।

श्लोक-17. दैवं परीक्षणं चावधिं स्थापयेयुः। आ प्रदाननिश्चयात्।।17।।

अर्थः लड़की के माता-पिता को चाहिए कि लड़के से शादी तय करने से पहले अपने रिश्तेदार, दोस्तों से सलाह लेने के लिए लड़के के माता-पिता से समय मांगे। इसके बाद लड़के के परिवार के बार में जब सब कुछ पता लग जाए और अपने बराबर का लगे तो ही उससे अपनी लड़की की शादी तय करनी चाहिए।

श्लोक-18. स्नानादिषु नियुज्यमाना वरयितारः सर्व भविष्यतीत्युक्त्वा न तदहरेवाभ्युपगच्छेयुः।।18।।

अर्थः अगर स्नान आदि के लिए वरण करने वाले अनुरोध करें तो उसी रोज स्वीकार न करें। उनसे सिर्फ इतना कह दें कि देखिए सब कुछ सही समय पर हो जाएगा।

श्लोक-19. देशप्रवृत्तिसात्म्याद्वा ब्राह्मप्राजापत्यार्षदैवानामन्यतमेन विवाहेन शास्त्रतः परिणयेत्। इति वरण विधानम्।।19।।

अर्थः भारतीय संस्कृति के मुताबिक चार प्रकार की शादियां होती हैं- ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ष तथा दैव। इन चारों में से किसी भी एक के द्वारा शास्त्रों के अनुसार लड़की के साथ शादी कर लेनी चाहिए।

श्लोक-20. भवन्ति चात्र श्लोकाः समस्यायाः सहक्रीडा विवाहाः संगतानि च। समानैरेव कार्याणि नोत्तमैर्नपि वाधमः।।20।।

अर्थः लड़की को अपने समान उम्र के लड़के के साथ खेलना चाहिए, समान उम्र के लड़के के साथ दोस्ती करनी चाहिए और युवती होने पर योग्य व समान उम्र वाले के साथ ही विवाह करना चाहिए। अधिक उम्र के लड़कों के साथ दोस्ती और अधिक उम्र के पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहिए।

श्लोक-21. कन्यां गृहीत्वा वर्तेत प्रेष्यवद्यत्र नायकः। तं विद्यादुच्चसंबंधं परित्यक्तं मनस्विभिः।।21।।

अर्थः लड़के को अपने समान हैसियत वाले लड़की के साथ ही शादी करनी चाहिए क्योंकि जो पैसे या अन्य लालच वश अपने से अधिक अमीर लड़की से शादी करता है उसके साथ नौकर के समान व्यवहार किया जाता है। किसी छोटे घर के लड़के को बड़े घर की लड़की या किसी छोटे घर की लड़की को अधिक बड़े घर के लड़के के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के संबंधों को उच्च संबंध कहा जाता है। अक्सर बुद्धिमान लोग इस तरह का संबंध कभी नहीं करते।

श्लोक-22. स्वामिवद्विचरेद्यत्र बांधवैः स्वैः पुरस्कृतः। अश्लाघ्यो हीनसंबंधः सोऽपि सद्भिर्विनिन्यते।।22।।

अर्थः अक्सर कुछ पुरूष निर्धन घर की लड़की के साथ शादी करके उस पर मालिक की तरह शासन करता है। ऐसे घरों में निर्धन घर की लड़की नौकरानी बनकर रहती है। इस तरह का वैवाहिक संबंध हीन संबंध कहलाता है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे इस तरह के संबंधों से बचते हैं।

श्लोक-23. परस्परसुखास्वादा क्रीडा यत्र प्रयुज्यते। विशेषयन्ती चान्योन्यं संबंधः स विधीयते।।23।।

अर्थः जिस शादी से पति-पत्नी को समान आनन्द की अनुभूति हो और दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हों वही शादी करने लायक होते हैं।

श्लोक-24. कृत्वापि चोच्चसंबंधं पश्चाज्ज्ञैतिषु संनमेत्। न त्वेव हीनसंबंधं कुर्यात्सद्भिर्विनिन्दितम्।।24।।

अर्थः अपने से ऊंचा संबंध स्थापित करने पर अपने रिश्तेदारों से दबना पड़ता है, उनके सामने झुकना पड़ता है। हीन संबंध को भी सज्जन लोग बुरा मानते हैं।

वात्स्यायन विवाहिक जीवन को तरजीह देता है। उसने उन्मुक्त सहवास व उच्छृंखल कामुकवृत्तियों तथा व्यभिचार का निरोध करने के लिए कन्यावरण का विधान शास्त्र विधि से तथा सजातीय में धर्म, अर्थ की वृद्धि के लिए शादी करने के लिए बताया है।

कामना से प्रवृत्त ब्राह्मण के चारों वर्ण, क्षत्रिय के ब्राह्माण के अलावा तीन वर्ण, वैश्य के दो वर्ण तथा शूद्र के एक वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए। लेकिन मनु के इस नियम का खण्डन करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नैतन्मम मतम यह विधान मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि श्रुति का कहना है कि तज्जाया जाया भवति यदन्यां जायते पुनः जाया वहीं कही जा सकती है जिसमें पति पुत्ररूप से पुनः उत्पन्न हो।

लेकिन वात्स्यायन यहां पर काम्य विवाह का समर्थन नहीं करते हैं। वह रक्त-शुद्धि का पूरा ख्याल रखते हुए शास्त्र और धर्म सम्मत विवाह का ही समर्थन करता है। यहां पर वह रति की तृप्ति धार्मिक बुद्धि से करने का पक्षपात करता है।

विवाह के संबंध में सावधान करते हुए कहते हैं कि 'कान्याभभि जनोपेता' अपनी जाति के गुणों से सम्पन्न लड़की से शादी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लड़की अनाथ न हो और दूर-दूर तक उसके वंश के रिश्तेदार फैले हों। इस तरह के परिवार वालों में शादी करने से कभी धोखा नहीं हो सकता है। वात्स्यायन के मत से समान जाति की कन्या के साथ विवाह कर लेना चाहिए जो उम्र में छोटी हो और मन, वचन, कर्म से उसका कौमार्य भंग न हुआ हो।

इस विषय में वात्स्यायन तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जैसे बाजार में लोग खरीदने योग्य वस्तु को अच्छी तरह देखे बिना नहीं खरीदते हैं, उसी तरह लड़की के साथ विवाह भी बिना सही प्रकार से देखे बिना नहीं किया जा सकता।

आचार्य वात्स्यायन के इस कथन से उसके समय के समाज तथा विवाह प्रथा पर प्रकाश पड़ता है। ऐसा अनुभव होता है कि वात्स्यायन के समय में स्वयंवर की प्रथा बन्द सी हो गयी थी, लड़कियों की शादी किसी बहाने से उन्हें दिखाकर करने की प्रथा चल पड़ी थी। हमारे देश में प्राचीन समय से ही लड़कियों की शादियां काफी अनियंत्रित माहौल में होती रही हैं। स्वयंवर की प्रथा काफी पुरानी है। ऋग्वेद के अनुसार पहले युवतियां वनिताभिलाषा युवकों की प्रार्थना पर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया करती थी।

इस बात से साबित होता है कि इससे पहले किसी समय में लड़कियां भी एकत्र हुआ करती रही होंगी। वहां अनेक तरह के खेल तमाशे होते थे। इसी मौके पर आपस में प्रेम संबंध, विवाह संबंध स्थिर होता हैं। वह मानता है कि खेल, विवाह तथा मित्रता बराबर वालों से ही करनी चाहिए। न तो अपने से ऊंचे और न अपने से नीचे लोगों से।

इस प्रकार वैवाहिक जीवन सुखी नहीं बन पाता है। इसलिए लड़के-लड़की की शादी विद्या, वित्त और कुल देखकर करनी चाहिए।

इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे सांप्रयोगिके तृतीयेऽधिकरणे वरणविधानं संबंधनिश्चयश्च प्रथमोऽध्यायः।।

भाग 3 कन्यासम्प्रयुक्तक

अध्याय 2 कन्याविस्रम्भणम् प्रकरण

श्लोक-1. संगतयोस्त्रिरात्रमध शय्या ब्रह्मचर्य क्षारलवण र्जमाहारस्तथा सप्ताहं सतूर्यमंगलस्नानं प्रसाधनं सहभोजनं च प्रेक्षा संबंधिनां च पूजनम्। इति सार्ववर्णकम्।।1।।

अर्थः युवक-युवती की शादी हो जाने के बाद पति-पत्नी को शादी के तीन रात तक जमीन पर साधारण विस्तर पर सोना चाहिए और पति-पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। भोजन में रसयुक्त पदार्थ तथा नमकीन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पति-पत्नी दोनों को एक सप्ताह तक मंगल स्नान करना चाहिए और उसे वस्त्र आभूषणों से सज-सवंर कर रहना चाहिए। दोनों को भोजन आदि में साथ रहना चाहिए। अपनों से बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। शादी के बाद पति-पत्नी के लिए बनाए गए यह नियम चारों वर्ण के लिए हैः- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र।

श्लोक-2. तस्मित्रेतां निश विजने मृदुभिरुप्रचारैरुप्रक्रमेता।।2।।

अर्थः शादी के बाद पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को रात के एकांत स्थान पर कोमल उपहारों द्वारा अपनी ओर आकर्षित करें।

श्लोक-3. त्रिरात्रमवचनं हि स्तम्भमिव नायकं पश्यन्ती कन्या निविद्येत परिभवेच्च तृतीयामिव प्रकृतिम्। इति बाभ्रवीयाः।।3।।

अर्थः बाभ्रवीय आचार्यों का कहना है कि शादी के पहले तीन रातों में अगर पति यदि पत्नी से बाते न करें, उसे स्पर्श न करें, उसे प्रेम भरी निगाहों से न देखें और चुप-चाप कमरे में पड़ा रहे तो इससे पत्नी दुखी हो जाती है और पति को नपुंसक मानने लगती है। उसके मन में अपने पति के प्रति सम्मान की भावना भी कम होने लगती है।

श्लोक-4. उपक्रमेत विस्त्रम्भयेच्च, न तु ब्रह्मचर्यमतिवर्तेत। इति वात्स्यायनः।।4।।

अर्थः वात्स्यायन अपने कामसूत्र में लिखते हैं कि शादी के पहले तीन रातों में पति यदि पत्नी के प्रति प्यार का प्रदर्शन करता है तो पत्नी के मन में सम्मान और विश्वास बढ़ता है। लेकिन पति को अपने पत्नी के बीच ब्रह्मचर्य का तीन रातों तक पालन करते रहना चाहिए।

श्लोक-5. उपक्रममाणश्च न प्रसह्य किंचिदाचरेत्।।5।।

अर्थः शादी के तीन रात पत्नी के साथ प्रेम प्रदर्शन करने के क्रम में पत्नी को जबरदस्ती चुंबन और आलिंगन नहीं करना चाहिए।

. श्लोक-6. कुसुमसधर्माणि हि योषितः सुकुमारोपक्रमाः। तास्त्वनधिगतविश्वासैः प्रसभमुपक्रम्यमाणाः संप्रयागद्वेषिण्यो भवन्ति। तस्मात्साम्नैवोपचरेत्।।6।।

अर्थः स्त्री फूल के समान कोमल और नाजुक होती है। इसलिए उसके साथ बड़े प्यार और कोमलता से व्यवहार करना चाहिए। पति को तब तक अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती चुंबन या आलिंगन नहीं करना चाहिए जब तक उसके दिल में पूर्ण विश्वास न बन जाए। शादी के बाद पति-पत्नी दोनों को एक-दूसरे को समझना चाहिए क्योंकि जब तक पत्नी को अपने पति पर यकीन न हो जाए तब उसके साथ कोई भी काम करना बलात्कार ही होता है और इससे पत्नी सेक्स से चिढ़ जाती है। अतः पति को पत्नी के सहमति और इच्छा होने पर ही अलिंगन, चुंबन और सेक्स संबंध बनाना चाहिए।

श्लोक-7. युक्त्यापि तु यतः प्रसरमुपलभेत्तेनैवानु प्रविशेत्।।7।।

अर्थः सेक्स संबंध के लिए पत्नी से प्यार से बाते करें, धीरे-धीरे उसके अंगों को स्पर्श करके उसे इसके लिए तैयार करना चाहिए और जैसे ही मौका मिले या उसकी सहमती मिले वैसे ही उसके अंगों को शिथिल करके आलिंगन करना चाहिए।

श्लोक-8. तत्प्रियेणालिंगनेनाचरितेन नातिकाल्वात्।।8।।

अर्थः इस तरह मौका मिलने पर बड़े प्यार के साथ स्त्री को आलिंगन करना चाहिए और सेक्स संबंध बनाना चाहिए लेकिन ज्यादा देर तक आलिंगन नहीं करना चाहिए।

श्लोक-9. पूर्वकायेण चोपक्रमेत्। विषह्मत्वात्।।9।।

अर्थः शुरुआत में पत्नी से ज्यादा परिचय न होने की वजह से आलिंगन छाती से ऊपरी अंगों का करना चाहिए, नाभि आदि नीचे के अंगों का नहीं।

श्लोक-10. दीपालोके विगाढयौवनायाः पूर्वसंस्तुतायाः। बालाया अपूर्वायाश्चन्धकारे।।10।।

अर्थः यदि विवाह से पहले पत्नी से जान-पहचान हो और वह उन्मत्तयौवना हो तो दीपक के प्रकाश में आलिंगन करना चाहिए। यदि पति-पत्नी के बीच विवाह से पहले जान-पहचान न हो और उसका अप्राप्त यौवन हो तो अंधेरे में आलिंगन करना चाहिए।

श्लोक-11. अंगीकृतपरिष्वंगायाश्च वदनेन ताम्बूलदानम्। तदप्रपिपद्यमानां सान्त्वनैर्वाक्यैः शपथैः प्रतियाचितैः पादपतनैश्च ग्राहयेत्। व्रीडायुक्तापि योषिदत्यन्तक्रुद्धापि न पादपतनममतिर्वते इति सार्वत्रिकम्।।11।।

अर्थः आलिंगन करने के बाद जब दोनों के मन से लाज और संकोच दूर हो जाए तो पति को चाहिए कि वह अपने मुंह में एक पान रखें और एक पान पत्नी को खाने को दें। यदि वह पान लेने से इंकार करे तो उसे बड़े प्यार से अनुरोध करें और पान लेने के लिए कहें। यदि इससे भी वह पान लेने से मना करे तो उसके पैर में गिरकर उसे पान खाने का अनुरोध करें।

श्लोक-12. तद्दानप्रसंगेण मृदु विशदमकाहलमस्याश्चुम्बनम्।।12।।

अर्थः जब पत्नी पान लेने के लिए तैयार हो जाए तो प्यार से उसे पान देते हुए चुंबन करें।

श्लोक-13. तत्र सिद्धामालापयेत्।।13।।

अर्थः यदि चुंबन लेने पर चेहरा खिल उठे और होठों पर मुस्कुराहट फैल जाए तो समझना चाहिए कि उसे अच्छा लगा है। इसके बाद उससे बाते करें।

श्लोक-14. तच्छ्रवणार्थं यत्किंचिदल्पाक्षराभिधेयमजानन्निव पृच्छेत्।।14।।

अर्थः पत्नी से बाते करते हुए यदि ऐसा महसूस हो कि पत्नी उसकी बातों में दिलचस्पी ले रही है तो बीच में किसी अन्जान की तरह थोड़े से शब्दों में कुछ पूछे।

श्लोक-15. तत्र निष्प्रतिपत्तिमनुद्वेजयन्सान्त्वनायुक्तं बहुश एवं पृच्छेत्।।15।।

अर्थः यदि पत्नी उस सवालों के अर्थ न बता पाए या जवाब न दे तो उससे प्यार के साथ यह बार-बार पूछे।

श्लोक-16. यत्राप्यवदन्तीं निर्बध्नीयात्।।16।।

अर्थः प्यार के साथ बार-बार अनुरोध करने पर भी जब वह कोई जवाब न दे तो उस जवाब के लिए अधिक जोर न दें। अक्सर पहली रात में लड़कियां अधिकतर उन्हीं सवालों का जवाब देना पसंद करती हैं जिसमें केवल 'हां' या 'नां' बोल सकें।

श्लोक-17. सर्वा एवं कि कन्याः पुरुषेन प्रयुज्यमानं वचनं विपहन्ते। न तु लघुमिश्रामपि वाचं वदन्दि। इति घोटकमुखः।।17।।

अर्थः आचार्य घोटकमुख के अनुसार सभी नवविवाहित लड़कियां पुरूष की हर बात को खामोशी से सुनती जाती है लेकिन किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं देती।

श्लोक-18. निर्बध्यमाना तु शिरःकम्पेन प्रतिवचनानि योजयेत्। कलहे तु न शिरः कम्पयेत्।।18।।

अर्थः पति के पूछने पर नवविवाहित लड़कियां अक्सर हां या न में जवाब देती हैं। यदि पूछने पर वह कोई जवाब न दें तो उस पर क्रोधित नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके बाद वह कोई जबाव भी नहीं देती।

श्लोक-19. इच्छसि मां नेच्छसि वा किं तेऽहं रुचितो न न रुचितो वेति पृष्टा चिरं स्थित्वा निर्बध्यमाना तदानुकूल्येन शिराः कम्पयेय्। प्रपञ्च्यमाना तु विवदेत्।।19।।

अर्थः तुम मुझे चाहती हो या नहीं, मैं तुम्हें पसन्द हूं या नहीं। इस तरह पूछे जाने पर पत्नी देर तक चुप रहकर फिर सिर हिलाकर अनुकूल जवाब देती है तथा यदि क्रोधित हुई तो झगड़ पड़ती है।

श्लोक-20. संस्तुता चेत्सखीमनुकूलामुभयतोऽपि विस्त्रब्धां तामन्तरा कृत्वा कथां योजयेत्। तस्मिन्नधोमुखी विहसेत्। तां चातिवादिनीमधिक्षिपेद्विवदेच्च। सा तु परिहासार्थमिदमनयोक्तमिति चानुक्तमपि ब्रूयात्। तत्र तामपनुय प्रतिवचनार्थमभ्यर्थ्यमाना तूष्णीमासीत। निर्वध्यमाना तु नाहमेवं ब्रवीमीत्यव्यगक्ताक्षरमनवसितार्थं वचनं ब्रूयात्। नायकं च विहसन्ती कदाचित्कटाक्षैः प्रेक्षेत। इत्यालापयोजनम्।।20।।

अर्थः पति-पत्नी से बाते करने के लिए पत्नी को सहेली का सहारा लेना चाहिए। पति जब कुछ कहता है तो उसे सुनकर पत्नी नीचे मुंह करके हंसती है। पति की बात सुनकर पत्नी अपनी सहेली को धमकायेगी कि तू बहुत वकवास करने लगी है, इस तरह से उसके साथ विवाद करेगी। सहेली भी उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके पति से झूठ-मूठ बोलेगी कि मेरी सहेली आप से यह कह रही है। इधर अपनी सहेली से कहेगी कि तुम्हारा पति यह कह रहा है, तू क्यों नहीं बोलती। इस तरह पति तथा सहेली से तंग आकर पत्नी दबे शब्दों में कहती है कि तुम मुझे तंग करोगी तो मैं नहीं बोलूंगी। साथ ही पति की तरफ मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से देखती है। इस तरह दोनों के बीच जो बातचीत शुरू होती है वह पति-पत्नी की पहली बातचीत होती है।

श्लोक-21. एवं जातपरिचय चानिर्वदन्ती तत्समीपे याचितं ताम्बूलं विलेपनं स्त्रजं निदध्यात। उत्तरीये वास्य निबध्यीयात्।।21।।

अर्थः इस तरह आपस में पति-पत्नी के बीच परिचय हो जाने पर पत्नी को चाहिए कि वह बिना कुछ बोले पति के पास खामोश से पान, चन्दन तथा माला रख दें।

श्लोक-22. तथायुक्तामाच्छुरितकेन स्तनमुकुलयोरुपरि स्पृशेत्।।22।।

अर्थः जब पत्नी आपके पास पान, चन्दन तथा माला रख रही हो तो पति को चाहिए कि वह पत्नी के स्तनों की घुण्डियों को प्यार से स्पर्श करें।

श्लोक-23. वार्यमाणश्च त्वमपि मां परिष्वजस्व ततो नैवमाचरिष्यामीति स्थित्या परिष्वञ्जयेत्। स्वं च हस्तमानाभिदेशात्प्रलसार्य निवर्तयेत्। क्रमेण चैनामुत्संग मारोप्याधिकमधिकमुक्रमेत्। अप्रतिपद्यमानां च भीषयेत्।।23।।

अर्थः यदि पत्नी स्तनों को स्पर्श करने से रोकती है तो उससे बोलना चाहिए कि तुम मेरे शरीर को स्पर्श या आलिंगन करो मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद पत्नी का आलिंगन करें और अपने हाथ को स्तनों से सहलाते हुए नाभि के नीचे तक फैलाएं और फिर हटा लें। इसके बाद पत्नी को अपनी गोद में बैठने को कहें और फिर धीरे-धीरे आगे की क्रिया करें। यदि पत्नी गोद में बैठने या यह सब करने से मना करे तो उसे बातों से भयभीत भी करा देना चाहिए।

श्लोक-24. अहं खलु तव दन्तपदान्यधरे करिष्यामि, स्तनपृष्ठे च नखपदम्। आत्मनश्च स्वयं कृत्वा त्वया कृतमिति ते सखीजनस्य पुरतः कथयिष्यामि। सा त्वं किमत्र वक्ष्यसीति वालबिभीषिकैर्बालप्रत्यायनैश्च शनैरेनां प्रतारयेत्।।24।।

अर्थः पत्नी जब छोड़छाड़ या अंगों को स्पर्श करने से मना करे तो उससे कहे कि मैं तुम्हारे होठों पर दांतों के निशान कर दूंगा, स्तनों पर नाखून गड़ा दूंगा, अपने अंगों में स्वयं नाखून लगाकर तेरी सहेलियों से कहूंगा कि तुम्हारी सहेली ने ये घाव कर दिए हैं। तब बता तू क्या करेगी? इस तरह बच्चों की तरह डरा-धमकाकर धीरे-धीरे पत्नी को मनचाहे काम में लगा ले।

श्लोक-25. द्वितीयस्यां तृतीयस्यां च रात्रौ किन्चदधिकं विस्त्रम्भितां हस्तेन योजयेत्।।25।।

अर्थः इस तरह पहली रात में पति को अपने पत्नी के मन में विश्वास बनाना चाहिए और फिर दूसरी-तीसरी रात उसकी जांघों पर हाथ फेरना शुरू कर देना चाहिए।

श्लोक-26. सर्वांगिकं चुंबनमुपक्रमेत।।26।।

अर्थः जांघों आदि पर हाथ फेरने पर जब स्त्री कुछ न बोले तो धीरे-धीरे सभी अंगों को सहलाना चाहिए और चुंबन करना चाहिए।

श्लोक-27. ऊर्वोश्चोपरि विन्यस्तहस्तः संवाहनक्रियायां सिद्धायां क्रमेणोरुमूलमपि संवाहयेत्। निवारिते संवाहने को दोष इत्याकुलयेदेनाम्। तच्च स्थिरीकुर्यात्। तत्र सिद्धाया गुह्यदेशाभिमर्शनम्।।27।।

अर्थः जब पत्नी स्पर्श से आनन्द महसूस करने लगे तो धीरे-धीरे जांघों के ऊपर हाथ रखकर हाथ फेरना आरम्भ कर दें। जांघों के ऊपर हाथ रखकर ऊपर नीचे हाथों से सहलाने के बाद जांघों के जोड़ में हाथ ले आए। कभी पत्नी ऐसा करने से रोके तो कहे कि ऐसा करने में क्या जाता है। जांघों को सहलाने के साथ ही आलिंगन तथा चुम्बन करते हुए उसे बेचैन बनाना चाहिए। बीच-बीच में सहलाना बन्द कर देना चाहिए। जब जांघों को सहलाते हुए स्त्री किसी तरह का निषेध न करके उसमें रुचि लेने लगे तब आहिस्ता से उसके गुप्तांग तक हाथ पहुंचा देना चाहिए।

श्लोक-28. रशनावियोजनं नीवीविस्त्रंसनं वसनपरिवर्तन मूरुमूलसंवाहनं च। एते चास्यान्यापदेशाः। युक्तयन्त्रां रञ्जयेत्। न त्वकाले व्रतखण्डनम्।।28।।

अर्थः फिर कमर की करधनी सरकाकर साड़ी की गांठ को ढीली कर दे और साड़ी को उलट दे और जांघों को सहलाते रहें। ये सब क्रियाएं पत्नी पर अपना प्रेम तथा विश्वास जमाने के लिए की जानी चाहिए न कि उच्छृंखल कामातुर बनकर संभोग के समय में स्त्री की खुशी का ख्याल करते हुए असमय में ब्रह्मचर्य भंग करने के लिए।

श्लोक-29. अनुशिष्याच्च। आत्मानुरागं दर्शयेत्। मनोथांश्च पूर्वकालिकाननुवर्णयेत्। आयत्यां च तदानुकूल्येन प्रवृत्तिं प्रतिजानीयात्। सपत्नीभ्यश्च साध्वसमवच्छिन्द्यात्। कालेन च क्रमेण विमुक्तकन्याभावा- मनुद्वेजयन्नुपक्रमेत। इति कन्याविस्त्रम्भणम्।।29।।

अर्थः पति को चाहिए कि सुहागरात से पहले तीन रातों में अपनी पत्नी को सेक्स की भी शिक्षा दें।

पति को चाहिए कि सुहागरात के पहले तीन रातों में पत्नी पर प्रेम जाहिर करते हुए पिछले मनोरथों, मनसूबों की बातें भी करनी चाहिए। उसे चाहिए कि पत्नी के मन में विश्वास दिलाना चाहिए कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और स्त्री की ओर कभी नहीं देखूंगा। इस तरह का विश्वास दिलाना चाहिए।

श्लोक-30. भवन्ति चात्र श्लोकाः- एवं चितानुगो बालामुपायेन प्रसाधयेत्। तथास्य सानुरक्ता च सुविस्त्रब्धा प्रजायते।।30।।

अर्थः इस विषय पर प्राचीन आचार्यों का कहना है कि जो व्यक्ति विवाह के पहले तीन रातों में अपनी पत्नी के मन को जानकर अपने प्रेम बंधन में बांध लेता है और अपना पूरा विश्वास बना लेता है तो शुरू से ही पत्नी अनुगामिनी वनकर उसकी सेवा करती रहती है।

श्लोक-31. नात्यन्तमानुलोम्येन न चातिप्रातिलोभ्यतः। सिद्धिं गच्छति कन्यासु तस्मान्मध्येन साधयेत्।।31।।

अर्थः पुरुषों को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि स्त्री को न तो अधिक क्रीतदास बनाकर और न ही अधिक प्रतिकूल होकर स्त्री को अपने वश में करना चाहिए क्योंकि अधिक निर्मल व्यवहार करने से स्त्री अपने को उच्च समझ बैठती है और अधिक सख्त व्यवहार करने से वह जीवन भर डरी सी रहती है। अतः जो समझदार पुरूष होते हैं वह इन दोनों में से बीच का रास्ता अपनाते हैं।

श्लोक-32. आत्मनः प्रीतिजननं योषितां मानवर्धनम्। कन्याविस्त्रम्भणं वेत्ति यः स तासां प्रियो भवेत्।।32।।

अर्थः पत्नी के मन में अपना प्यार बनाना, पत्नी का सम्मान करना तथा नई विवाहित स्त्री में अपना यकीन बनाना। इन तीनों बातों को जो पुरुष जानता है और समझता है वह स्त्रियों का प्रिय होता है।

श्लोक-33. अतिलञ्जान्वितेत्येवं कन्यामुपेक्षते। सोऽनभिप्रायवेदीति पशुवत्परिभूयते।।33।।

अर्थः नवविवाहित पुरुष यदि अपनी स्त्री को शर्मीली समझने की भूल करता है वह स्त्री के द्वारा सम्मान प्राप्त करने योग्य नहीं होता।

श्लोक-34. सहसा वाप्युपक्रान्ता कन्याचितमविन्दता। भयं वित्रासमुद्वेगं सद्यो द्वेषां च गच्छति।।34।।

अर्थः नवविवाहित पति-पत्नी के बीच विश्वास एवं प्यार का संबंध बनाए बिना या मनोभावों को समझे बिना ही यदि संभोग करने की कोशिश करता है, वह स्त्री के भय, क्रोध तथा ईर्ष्या द्वेष का पात्र बन जाता है।

श्लोक-35. सा प्रीतियोगमप्राप्ता तेनोद्वेगेन दूषिता। पुरुषद्वेषिणी वा स्याद्विद्विष्टा वा ततोऽन्यगा।।35।।

अर्थः पति का प्रेम न पाकर पत्नी जलन और घृणा से भर जाती है। फिर तो वह या तो अपने पति की विद्रोहिणी बन जाती है या पराये पुरूष से फंस जाती है।

आचार्य वात्स्यायन का मानना है कि मनोविज्ञान सम्मत है कि शादी के बाद नई दुल्हन को जब तक भली प्रकार आश्वस्त तथा विश्वास्त न कर लिया जाए तब तक वह संभोग करने के लायक नहीं होती, इसीलिए आचार्य ने कन्या विस्त्रम्भण प्रकरण लिखकर अपने बुनियादी विचारों को धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, मानसशास्त्र तथा लोकशास्त्र का आधार लेकर पल्लवित किया है।

परस्पर संदेश, ईर्ष्या तथा आशंका नफरत की वैतरिणी में वह डूबने उतरने लगता है। भारतीय वैवाहिक जीवन के विषय में प्रारम्भिक विधान में जीवन तत्व, जीवन विज्ञान तथा मनोविज्ञान निहित है। जब से इस व्यवस्था की उपेक्षा होने लगी है उसे सिर्फ रस्म अदायगी माना जाने लगा है। तब से दाम्पत्य जीवन में

यह रस नहीं रह गया जो पहले कभी था। यह भी सच है कि यदि पत्नी के बीच दीवार खड़ी हो जाने या उनके संबंध में दरार पड़ जाने का एक अन्यतम प्रमुख वजह ऐसी प्रारम्भिक उपेक्षा अथवा भूल भी अपना बहुत कुछ स्थान रखती है जिस पर हम ध्यान भी नहीं देते।

तीन दिनों तक ब्रह्मचर्य पालन करने का अर्थ यह नहीं है कि सुहागरात में पति-पत्नी एक-दूसरे से बिल्कुल अछूते रहे। ऐसा करने पर पति-पत्नी के बीच नई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। पत्नी के मन में प्रति के प्रति गलत भावना आ सकती है और वह पति को कायर समझ सकती है। ऐसी स्थिति में पति को मीठी-मीठी बातों के जरिये उसका दिल बहलाना चाहिए।

पत्नी की इच्छा के खिलाफ ऐसा कोई कार्य न करें, ऐसी कोई बात न करें जो उद्विग्न बनाने वाली हो। पत्नी को यकीन दिलाने के लिए, उसकी शर्म दूर करने के लिए साथ खेलना चाहिए, ऐसे समय में पति न बनकर पत्नी की सहेली बनकर उनको आश्वस्त करना चाहिए। साथ ही पत्नी के मनोभावों को भी भांपते रहना चाहिए।

आलिंगन करने, ताम्बूल (पान) देने, चुम्बन करने तथा बात करने से पत्नी जब परिचित हो कि वह विना कुछ बोले मुस्कुराती हुई वह वस्तु उसके पास रख दें। जब वह पान या पानी रख रही हो तो उसके झुकते ही पति उसके स्तनों का स्पर्श कर लें। इस प्रकार धीरे-धीरे उसकी नाभि तक हाथ फेरने का बहाना कर लेना चाहिए।

तीन रोज तक खाना, सोना आदि नियमों के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ पति आलिंगन, चुंबन, वार्तालाप तथा अन्य रसमयी क्रियाओं से पत्नी से इस तरह समीपता डर या शक नहीं होना चाहिए। जब उसे पूरा यकीन हो जाए तब पति को समागम करना चाहिए। पत्नी जब दिल से पति पर यकीन करने लगेगी तो उसे संभोग के समय का दुख भी आनन्द सा महसूस होने लगेगा।

आचार्य वात्स्यायन ने कन्याविस्रम्भण जैसे इस उपयोगी प्रकरण में जो कुछ कहा है उसका सार यही है कि पुरुष को स्त्री मनोविज्ञान का विशेषज्ञ होना चाहिए। स्त्री के मानसिक भावों को जाने बिना शादी और वैवाहिक जीवन को निष्फल तथा निरर्थक बनाना है।

इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे कन्यासम्प्रयुक्त के तृतीयेधिकरणे कन्याविस्रम्भणं द्वितीयोऽध्यायः।

भाग 3 कन्यासम्प्रयुक्तक

अध्याय 3 बालोपक्रमाः प्रकरण

श्लोक-1. वरणसंविधानपूर्वकमधिगतायां विस्रम्भणमुक्तम्।।1।।

अर्थः या तु व्रियमाण न लभ्यते तत्र गान्धर्वादयश्चत्वारो विवाहाः।

कामसूत्र में बताया गया है कि शास्त्रों के अनुसार चार प्रकार से शादी की जा सकती है और इनमें से किसी भी विधि से शादी कर लेनी चाहिए। जब लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो उसे विश्वस्त तथा आश्वस्त बनाने के लिए प्रेम भरे शब्दों का सहारा लेना चाहिए।

शास्त्रों के अनुसार शादी के चार प्रकारों के अतिरिक्त चार और प्रकारों का वर्णन किया गया है जिसे गन्धर्व विवाह कहते हैं- ब्राह्म, अग्नि, दैव, प्रजायत्य। यदि ऊपर के चार प्रकार के विवाहों में से किसी के द्वारा लड़की हासिल न हो तो उसे गन्धर्व के चारों में से किसी एक प्रकार से विवाह कर लेना चाहिए। यदि लड़का-लड़की आपस में शादी के लिए तैयार हों और उनके मां-बाप शादी के लिए तैयार न हों तो लड़का-लड़की को गन्धर्व विवाह के द्वारा शादी कर लेनी चाहिए।

श्लोक-2. धनहीनस्तु गुणयुक्तोऽपि, मध्यस्थगुणो हीनापदेशो वा, साधनो वा प्रातिवेश्यः मातृपितृभ्रातृषु च परतन्त्रः, बालवृत्तिरुचितप्रवेशो वा कन्यामलभ्यत्वान्न वरयेत्।।2।।

अर्थः लड़का-लड़की को न मिलने की वजह के बारे में वात्स्यायन बताते हुए कहते हैं कि जो युवक गुणवान होते हुए भी हीन कुल का है अथवा धनवान होते हुए भी युवती के घर का पड़ोसी है अथवा अपने माता-पिता के अधीन है अथवा जिसमें स्त्री का भाव है तो ऐसे युवक को चाहिए कि वह किसी कुलशील सम्पन्न लड़की से विवाह करने की कोशिश न करें।

श्लोक-3. बाल्यात्प्रभृति चैनां स्वयमेवानुरञ्जयेत्।।3।।

अर्थः इस तरह से जो प्रेमी-प्रेमिका बचपन से आपस में प्यार करते हों और किसी कारण से उनका विवाह होना संभव न हो तो लड़के के किशोरावस्था से ही लड़की के साथ अपना प्यार बढ़ाते रहना चाहिए।

श्लोक-4. तथायुक्तश्च मातुलकुलानुवर्ती दक्षिणापथे बाल एवं मात्रा च पित्रा च वियुक्तः परिभूतकल्पो धनोत्कर्षादलभ्यां मातुलदुहितरमन्यस्मै वा पूर्वदत्तां साधयेत्।।4।।

अर्थः जहां युवक प्रायः इसी तरह से लड़की को अनुरक्त बनाकर फिर उससे शादी करते हैं। वह अनुरक्त निम्न है-

दक्षिण देश में जिन बातों की वजह से लोग अपनी लड़कियां नहीं देते उन्हीं हीनताओं से युक्त माता-पिता रहित गरीब लड़का अपने मामा के घर रहकर अमीर मामा की पुत्री को चाहे उसकी सगाई कहीं हो भी गई हो, उससे प्यार बढ़ाकर शादी कर ले।

श्लोक-5. अन्यामपि बाह्यां स्पृहयेत्।।5।।

अर्थः यदि लड़की लड़के के मामा के गोत्र का न हो तथा अपने गोत्र की न होकर किसी दूसरी जाति की हो तब भी उसे अनुरक्त करके उसके साथ गन्धर्व विवाह कर सकता है।

श्लोक-6. बालायामेवं सति धर्माधिगमे संबंननं श्लाघ्यमिति घोटकमुखः।।6।।

अर्थः आचार्य घोटकमुख कहते हैं कि यदि कोई लड़का किशोरावस्था से ही किसी लड़की के साथ प्यार करता हो तो उसे वश में करके शादी कर लेना गलत नहीं है।

श्लोक-7. तया सह पुष्पावचयं ग्रथनं गृहकं दुहितृकाक्रीडायोजनं भक्तपानकरणमिति कुर्वीत। परिचयस्य वयसश्चानुरूप्यात्।।7।।

अर्थः वात्स्यायन के अनुसार लड़की को अनुरक्त करने वाला बच्चा भी हो सकता है और युवक भी। बचपन से ही लड़का द्वारा किसी लड़की को अनुरक्त करने के विषय में वात्स्यायन का कहना है कि बचपन से ही लड़का लड़की के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलता है, जैसे- फूल चुनना, फूलों की माला गूंथना, घरौंदा बनाना, गुड़ियों का खेल खेलना, मिट्टी, धूल, भात आदि खाने पीने की वस्तुएं तैयार करना तथा अपनी उम्र और जानकारी के मुताविक अन्य क्रीड़ाएं करने के साथ लड़की को अपने वश में करने की कोशिश करना।

श्लोक-8. आकर्षक्रीडा पट्ट्काक्रीडा मुष्टियूतक्षुल्लकादियूतानि मध्यमाङ्ळलिग्रहणं षट्पाषाणकादीनि च देश्यानि तत्सात्म्यात्तदाप्तदासचेटिकाभिस्तया च सहानुक्रीडेत।।8।।

अर्थः बचपन से लड़का लड़की को खुश करने के लिए रस्साकशी, एक-दूसरे के हाथ की अंगुलियों को फंसा पट्टा बांधकर चक्कर लगाना, कोई शर्त लगाकर मुट्ठी बांधकर पूछना कि इसमें क्या है? बीच की बड़ी अंगुली को छिपाकर बुझाना तथा छह कंकड़ियों से खेल, इन देशी खेलों को बचपन में लड़की के साथ खेलता है। बचपन में खेले जाने वाले ये खेल बचपन से ही लड़का द्वारा लड़की को अनुरक्त करने में सहायता करता है।

श्लोक-9. क्ष्वेडितकानि सुनिमीलितकामारब्धिकां लवणवीथिकामनिलताडितकां गोधूमपुञ्जिकामङ्ळलिताडितकां सखीभिन्यानि च देश्यानि।।9।।

अर्थः कृष्णफल, आंख मिचौली, क्रीड़ा, नमक की दुकान, दोनों हाथ फैलाकर चारों तरफ घूमना, गेहूं के ढेर में सभी बालक पैसे छोड़कर एक में मिला दें फिर बराबर-बराबर बांट लें, अंगुली से खोटका मारना और अपने-अपने आदि खेल खेलते हैं।

वात्स्यायन ने सामाजिक रीति से अविवाहित लड़की से प्रेम संबंध बनाने के लिए बताया है। वात्स्यायन का कहना है कि यदि युवक और युवती एक-दूसरे से प्यार करते हैं और विवाह करना चाहते हैं लेकिन कुलीनता, विद्वता अथवा सम्पत्ति की कमी होने से पुरूष, स्त्री से शास्त्रों में वर्णित उत्तम विधि से शादी करने में असमर्थ हो तो उसे चाहिए कि वह गान्धर्व, राक्षस आदि निकृष्ट पद्धति से विवाह कर लें। अर्थ यह है कि वह अपनी प्रेमिका को लेकर भागकर शादी कर लें।

वात्स्यायन इस प्रकार के प्रेमियों के लिए कहते हैं, जो लड़का लड़की के परिवार से नीच हो, धनहीन हो, विजातीय हो, उसके पड़ोस में बसता हो और परिवार वालों के नियंत्रण में हो। इस तरह की लड़की से संबंध नहीं बनाना चाहिए। फिर भी यदि कोई लड़का इस तरह कि लड़की से प्यार कर बैठता है और उससे शादी करना चाहता है तो उस लड़के के लिए आवश्यक है कि वह उस लड़की से किशोरावस्था से ही प्रेम संबंध बनाकर रखें।

वात्स्यायन की इस बात से पता चलता है कि प्रेम विवाह की परम्परा भारत में काफी प्राचीनकाल से चली आ रही है। स्मृतियों में भी गान्धर्व, राक्षस, पैशाच विवाह के बारे में बताया गया है।

लड़की-लड़कों में बाल्यावस्था से ही परस्पर प्रेम तथा आकर्षण उत्पन्न करने के लिए जिन बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया हैं उनकी दीर्घकालीन परम्परा का परिचय मिलता है। माला गूंथना, फूल तोड़ना, घरोंदा बनाना आदि क्रीड़ाएं सार्वदेशिक हैं लेकिन आकर्ष क्रीड़ा, पट्टिका क्रीड़ा, मुष्टियूत आदि क्षुल्लकयूत और अंगुलि ग्रहण तथा षटपाषणक खेल ऐसे होते हैं जिन्हें विशुद्ध जनपदीय कहा जा सकता है। अक्सर यह क्रीड़ाएं गांव के बच्चे करते हैं।

ऐसी स्थिति में शास्त्रकार का यह मानना अग्राह्य ही नहीं असामाजिक व अव्यवाहारिक सा प्रतीत होता है कि कोई बच्चा किसी बालिका से युवावस्था आने पर विवाह करने के लिए बचपन से ही उसके साथ खेलना शुरु करें। हां युवक ऐसी कोशिश कर सकते हैं।

युवकों के प्रयत्नों का विवरण सूत्रकार इस तरह करते हैं-

श्लोक-10. यां च विश्वास्यामस्यां मन्येत तया सह निरंतरां प्रीति कुर्यात्। परिचयांश्च बुध्येत।।10।।

अर्थः यदि युवक किसी लड़की को पसंद करता है और उससे प्यार करना चाहता है तो उसे चाहिए कि लड़की की सबसे अच्छी सहेली से जान-पहचान बढ़ाए और उसके द्वारा अपनी प्रेमिका के मन में प्यार बढ़ाने की कोशिश करें।

श्लोक-11. धात्रेयिकां चास्याः प्रियहिताभ्यामधिकमुपगृह्णीयात्। सा हि प्रीयमाणा विदिताकाराप्यप्रत्यादिशन्ती तं तां च योजयितुं शक्नुयात्। अनभिहितापि प्रत्याचार्यकम्।।11।।

अर्थः लड़के को चाहिए कि वह जिस लड़की से प्यार करता है उसके घर में काम करने वाली लड़की से मेलजोल बढ़ाए। इस तरह काम करने वाली लड़की को अपने बातों के जाल में फंसाने और अपने वश में करने से उसके बिना कुछ कहे ही वह लड़के के हाव-भावों को जानकर उसके प्रेमिका से लड़के को मिला देती है।

श्लोक-12. अविदिताकारापि हि गुणानेवानुरागात्प्रकाशयेत्। यथा प्रयोज्यानुरज्येत।।12।।

अर्थः इस तरह कामवाली लड़की या उसकी सहेली को अपने वश में करने से वह प्रेमिका के सामने लड़के के गुणों को इस तरह से बताती है कि लड़की उसकी ओर आकर्षित होने लगती है।

श्लोक-13. यत्र यत्र च कौतुकं प्रयोज्यायास्तदनु प्रविश्य साधयेत्।।13।।

अर्थः प्रेमी को चाहिए कि वह प्रेमिका की इच्छाओं को पूरी करे। प्रेमिका को जो चीज अच्छी लगे वह लाकर दे और जिस चीजों को देखने की इच्छा करे उस चीजों को दिखाने ले जाएं।

श्लोक-14. क्रीडनकद्रव्याणि यान्यपूर्वाणि यान्यन्यासां विरलशो विद्येरंस्तान्यस्या अयत्नेन संपादयेत्।।14।।

अर्थः अगर प्रेमी-प्रेमिका छोटी उम्र के हों तो प्रेमी को चाहिए कि वह अपनी प्रेमिका को ऐसे खिलौने खरीद कर दे जो कीमती व दुर्लभ होने के साथ ऐसी हो जिन्हें प्रेमिका ने पहले कभी न देखी हो।

श्लोक-15. तत्र कन्दुकमनेकभक्तिचित्रमल्पकालान्तरितमन्यदन्यच्च संदर्शयेत्। तथा सूत्रदारुगवलगजदन्तमयीर्दुहितृका मधूच्छिष्टमृन्मयीश्च।।14।।

अर्थः प्रेमी को चाहिए कि अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए रंग-बिरंगी गेंदे दिखाए। ऐसी गेंद दिखाए जिस पर चित्र बने हों और वह रंग बदलती हो। इसके अतिरिक्त फुंकनी से साबुन जैसे फेनिल तरल पदार्थों के फुलक्का बनाकर उड़ाना चाहिए। प्रेमी को अपनी प्रेमिका को ठोरा, सींग, हाथीदांत, मोम और मिट्टी की पुतलियां एवं गुड़ियां देनी चाहिए।

श्लोक-16. भक्तपाकार्थमस्या महानसिकस्य च दर्शनम्।।16।।

अर्थः प्रेमी को चाहिए कि वह खाना बनाने के लिए अपनी प्रेमिका को रसोईघर दिखाए या फिर खाना पकाने की विधि सिखाए।

श्लोक-17. काष्ठमेढकयोश्च संयुक्तयोश्च स्त्रीपुंसयोरजैडकानां देवकुलगृहकाणां मृद्विदलकाष्ठविनिर्मितानां शुकपरभृतमदसारिकालावकुक्कुटतितिरिपञ्जरकाणां च विचित्राकृतिसंयुक्तानां जलभाजनानां च यन्त्रिकाणां वीणिकानां पटोलिकानामलक्तकमनः शिलाहरितालहिङ्ळकश्यामवर्णकादीनां तथा चन्दनकुङ्कमयोः पूगफलानां पत्राणां कालयुक्तानां च शक्तिविषये प्रच्छन्नं दानं प्रकाशद्रव्याणां च प्रकाशम्। यथा च सर्वाभिप्रायसंबर्धकमेनं मन्येत तथा प्रयतितव्यम्।।17।।

अर्थः प्रेमी को अपनी प्रेमिका के घर वालों को दिखाकर या छिपाकर विभिन्न उपहार देना चाहिए, जैसे- मिट्टी, लकड़ी, कांच तथा मोम आदि के मन्दिर देना चाहिए। तोता, मैना, तीतर, पिंजरे, शंख, सीप, कौड़िया, वीणा, श्रृंगार रखने का समान और तस्वीर लाकर देना चाहिए। रंग, चन्दन, सुपारी, पान, इत्र आदि को अवसर देखकर अपनी प्रेमिका को देना चाहिए।

श्लोक-18. वीक्षणे च प्रच्छन्नमर्थयेत् तथा कथायोजनम्।।18।।

अर्थः प्रेमी को चाहिए कि अपनी प्रेमिका को छिपकर मिलने का अनुरोध करे और उसके साथ ऐसी बाते करें जिससे उसके मन में विश्वास और प्यार बढ़े।

श्लोक-19. प्रच्छन्नदानस्य तु कारणमात्मनो गुरुजनाद्भयं ख्यापयेत्। देयस्य चान्येन स्पृहणीयत्वमिति।।19।।

अर्थः यदि प्रेमिका छिपाकर वस्तु देने का कारण पूछे तो मुझे मां-बाप का डर बताए या दी जाने वाली चीजें लेने के बहाने बनाए तो उसे अपने प्यार का विश्वास दिलाएं।

श्लोक-20. वर्धमानानुरागं चाख्यानके मनः कुर्वतीमन्वर्थाभिः कथाभिश्चित्तहारिणीभिश्च रञ्जयेत्।।20।।

अर्थः प्रेमी-प्रेमिका का आपसी प्यार बढने लगे और प्रेमिका बाते सुनने की रुचि प्रकट करे तो प्रेमी को मौके के अनुसार खूबसूरत कहानियां सुनाकर उसका मनोरंजन करना चाहिए।

श्लोक-21. विस्मयेषु प्रसह्यमानामिन्द्रजालैः प्रयोगैर्विस्मापयेत्। कलासुकौतुकिनीं तत्कौशलेन गीतप्रियां श्रुतिहरैर्गीतैः। आश्वयुज्यामष्टमीचन्द्रके कौमुद्यामुत्सवेषु यात्रायां ग्रहणे गृहाचारे वा विचित्रैरापीडैः कर्णपत्रभंगैः सिक्थकप्रधानैर्वस्त्राङ्ळलीयकभूषणदानैश्च। नो चेद्देषकराणि मन्येत।।21।।

अर्थः यदि प्रेमिका जादू के खेल देखने की इच्छा करती है तो उसे इन्द्रजाल के आश्चर्यजनक खेल दिखाना चाहिए। यदि कलाओं का कौशल देखना चाहती हो तो उसे कलात्मक कौशल दिखाकर खुश करना चाहिए। यदि वह संगीत सुनना चाहती हो तो मधुर संगीत सुनाकर उसका दिल बहलाएं। प्रेमी को चाहिए कि कोजागरी व्रत, बहुला अष्टमी, कौमुदी महोत्सव या ग्रहण के दिन प्रेमिका जब प्रेमी के घर आए तो उसे आपीड, कर्णपत्र भंग, छाप, छल्ला, वस्त्र आदि देकर उसे प्रसन्न करें। लेकिन प्रेमी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन वस्तुओं को देने से उसकी किसी प्रकार की गलतफहमी या बदनामी न हो।

श्लोक-22. अन्यपुरुषविशेषाभिज्ञतया धात्रेयिकास्याः पुरुषप्रवृत्तौ चातुः षष्टिकान्योगान्ग्राहयेत्।।22।।

अर्थः प्रेमिका की सहेली को चाहिए कि वह उसके प्रेमी की तारीफ करे। उससे कहे कि वह युवक बहुत सुन्दर है और गुणवान है। इस प्रकार प्रेमिका के मन से प्रेमी से मिलने के डर और संकोच को दूर करें और प्रेमी से मिलने के लिए उसे तैयार करें, साथ ही काम संबंधी कलाओं की शिक्षा भी दे।

श्लोक-23. उदारवेपश्च स्वयमुपहनदर्शनश्च स्यात्। भावं च कुर्वतीमिंगिताकारैः सूचयेत्।।23।।

अर्थः प्रेमी को चाहिए कि वह प्रेमिका के सामने सजधज कर और सुगंधित परफ्यूम लगाकर जाए। प्रेमी जब अपनी प्रेमिका की नजरों के सामने बार-बार जाता है तो उसके हाव-भाव से यह समझ में आ जाता है कि वह मुझसे प्यार करती है या नहीं।

श्लोक-24. युवतयो हि संसृष्टमभीक्ष्णदर्शनं च पुरुषं प्रछमं कामयन्ते। कामयमाना अपि तु नाभियुञ्जत इति प्रायोवादः। इति बालायामुपक्रमाः।।24।।

अर्थः यह निश्चित है कि ज्यादातर युवतियां अपने परिचितों तथा आसपास रहने वाले युवकों को ज्यादा चाहती हैं लेकिन वे उसे चाहते हुए भी लज्जावश उससे समागम नहीं करती क्योंकि इससे उसके पकड़े जाने का डर रहता है।

श्लोक-25. तानिङ्गिताकारान् वक्ष्यामः।।25।।

अर्थः वात्स्यायन प्रेमी-प्रेमिका के बारे में बताने के बाद अब प्रेमिका के शारीरिक संकेतों के बारे में बताते हैं।

श्लोक-26. संमुखं तं तु न वीक्षते। वीक्षिता व्रीडां दर्शयति। रुच्यमात्मनोऽङ्गमपदेशेन प्रकाशयति। प्रमत्तं प्रच्छन्नं नायकमतिक्रान्तं च वीक्षते।।26।।

अर्थः प्रेमिका अक्सर अपने प्रेमी को अपना मुख लज्जा और शर्म के कारण नहीं दिखाती है लेकिन हल्की तिरछी नजरों से ही अपने प्रेमी को देख लिया करती है। प्रेमिका अक्सर अपने प्रेमी को किसी न किसी बहाने से अपनी खूबसूरती दिखाती है और ऐसा वह तब करती जब प्रेमी उसकी तरफ ध्यान न दे या उससे दूर हो।

श्लोक-27. पृष्टा च किंचित्सस्मितमव्यक्ताक्षरमनवसितार्थं च मन्दंमन्दमधोमुखी कथायति। तत्समीपे चिरं स्थानमभिनन्दति। दूरे स्थिता पश्यतु मामिति मन्यमाना परिजनं सवदनविकारमाभापते। तं देशं न मुञ्जति।।27।।

अर्थः प्रेमी जब प्रेमिका से आकर्षित होता है और उससे कुछ पूछता है तो वह हल्की सी मुस्कुराती हुई सिर व पलके झुकाएं हुए धीमी स्वर में इस तरह जवाब देती है जिसका अर्थ समझना मुश्किल होता है। प्रेमिका अक्सर अपने प्रेमी के साथ अधिक बैठे रहना चाहती है। कभी-कभी प्रेमिका अपने प्रेमी को आकर्षित करने तथा दिखाने के लिए अपने छोटी बहन की बाते सुनाने लगती हैं, मुंह बनाकर बाते करने लगती हैं।

श्लोक-28. यत्किंचिद् दृष्टवा विहसितं करोति। तत्र कथामवस्थानार्थमनुबघ्नाति। बालस्याकंगतस्यालिंगनं चुंबनं च करोति। परिचारिकायास्तिलकं च रचयति। परिजनानवष्टभ्य तास्ताश्च लीला दर्शयति।।28।।

अर्थः प्रेमिका प्रेमी को दिखाने के लिए जिस जगह प्रेमी खड़ा होता है उसी जगह जाकर खड़ी होती है। प्रेमिका अपने प्रेमी को प्यार का एहसास कराने के लिए उसके पास खड़ी होकर कुछ भी देखकर हंसने लगती है। उसके पास खड़े रहने के लिए वे अपने सहेली के साथ ऐसी बाते करेगी जो जल्दी समाप्त न हो। प्रेमी को देखकर वह बच्चे को गोद में लेकर चुंबन करने लगती है, उससे बाते करने लगती है। अपनी सहेली का सहारा लेकर हाव-भाव तथा नाज-नखरे दिखाने लगती है।

श्लोक-29. तन्मित्रेषु विश्वासिति। वचनं चैषां बहु मन्यते करोति च। तत्परिचारकैः सह प्रीतिं संकथां यूतमिति च करोति। स्वकर्मसु च प्रभविष्णुरुवैतान्नियुङ्क्ते। तेषु च नायकसंकथामन्यस्य कथयत्स्ववहिता तां श्रृणोति।।29।।

अर्थः प्रेमिका अपने प्रेमी के दोस्तों की बातों पर विश्वास करती है और उसके बातों को मानती है। उसके घर के नौकरों के साथ अक्सर बाते करती रहती है, प्रेम भरा व्यवहार बर्ताव करती है तथा उनके साथ शतरंज, ताश आदि भी खेलती है। प्रेमिका अपने प्रेमी के नौकरों को मालिक की तरह भी आदेश देती है। अगर वह नौकर उसके प्रेमी की बातें करता है तो प्रेमिका उसकी बातों को ध्यान से सुनती है।

श्लोक-30. धात्रेयिकया चोदिता नायकस्योदवसितं प्रविशति। तामन्तरा कृत्वा तेन सह यूतं क्रीडामालापं चायोजयितुमिच्छति। अनलंकृता दर्शनपथं परिहरति। कर्णपत्त्रमङ्गलीयकं स्त्रजं वा तेन याचिता सधीरमेव गात्रादवतार्य सख्या हस्ते ददाति। तेन च दत्तं नित्यं धारयति। अन्यवरसंकथासु विपण्णा भवति। तत्पक्षकैश्च सह न संसृज्यत इति।।30।।

अर्थः प्रेमिका अपनी सहेली के कहने पर अपने प्रेमी के घर चली जाती है। सहेली को जरिया बनाकर प्रेमी के साथ शतरंज आदि खेलती है तथा प्रेमालाप करती है। प्रेमी के सामने बिना श्रृंगार के नहीं आती। यदि प्रेमी कर्णफूल, अंगूठी या माला मांगता है तो बड़े धीरज के साथ उतारकर सहेली के हाथ में रख देती है। प्रेमी की दी हुई चीजों को हमेशा पहनती है। दूसरे युवकों की बातों से उदास हो जाती है तथा उस सहेली का साथ छोड़ देती है।

श्लोक-31. भवतश्चात्र श्लोक (इस विषय में पुराना श्लोक)- दृष्ट्वैतान्भावसंयुक्तानाकारानिंगितानि च। कन्यायाः संप्रयोगार्थं तांस्तान्योगान्विचिन्तयेत्।।31।।

अर्थः इस तरह प्रेमिका अपने हाव-भाव, नाज-नखरों तथा इशारों को देखकर उसके समागम के लिए कोशिश करनी चाहिए।

श्लोक-32. बालक्रीडनकैर्बाला कलाभिर्यौवने स्थिता। वत्सला चापि संग्राह्या विश्वास्यजनसंग्रहात्।।32।।

अर्थः आचार्य वात्स्यायन ने तीन प्रकार की लड़की के बारे में बताया हैः- पहला बालक्रीडा करने वाली बाला कहलाती है। दूसरा कामाकालाओं से मनुराग रखने वाली तरुणी (युवती) कहलती है। तीसरा वात्सल्य भाव रखने वाली प्रौढ़ कहलाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे खेल-खिलौनों से बाल लडकी को वश में करें, कामकला के द्वारा युवती को अपने वश में करें और प्रौढ़ा को उसके विश्वासी व्यक्तियों के द्वारा अपने वश में करके अपनी ओर आकर्षित करें।

यहां पर यह जानना बेहद आवश्यक है कि प्रेमी किसी तरह प्रेमिका को अपनी ओर आकर्षित करें और इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। प्रेमिका को अपनी ओर आकर्षित करने के तरीके को दो भागों में बांटा गया है- पहला प्रेमी अपनी प्रेमिका की सहेलियों से जान-पहचान बढ़ाकर उससे बाते करें या अच्छे कपड़े, आभूषण एवं अन्य चीजों के द्वारा प्रेमिका को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करें और मौका मिलने पर प्यार का इजहार करें। दूसरा प्रेमी को अपने प्रेमिका को मनभोवक वस्तु उपहार के रूप में देना चाहिए जिससे प्रेमिका प्रेमी के मन की इच्छा को समझ सकें। ये दोनों ही तरीके मनोवैज्ञानिक हैं और इसके द्वारा प्रेमी-प्रेमिका को एक-दूसरे की भावनाओं को समझने में मदद मिलती है।

प्रेमी को अपनी प्रेमिका से बात करने और अपने प्यार का इजहार करने के रास्तों का चुनाव बड़ी बुद्धिमानी से करना चाहिए। प्रेमिका की जो सहेलियां हो उनसे बाते करते हुए अपनी प्रेमिका के प्रति अधिक प्रेम और विश्वास दिखाएं। प्रेमिका की सहेली को अपना माध्यम बनाते हुए यह निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या उसकी सहेली उनके बीच के प्यार को एक करने में उसकी मदद करेगी।

प्यार के संदेशों को एक-दूसरे के पास पहुंचाने के लिए ऐसी सहेली चुनना चाहिए जो प्रेमिका के अधिक पास हो और उसके मन में दोनों के प्यार के प्रति सम्मान हो। प्रेमी-प्रेमिका को अपने बीच ऐसी सहेली को रखना चाहिए जो दोनों को मिलाने के साथ प्रेमिका को रतिभावों की तरफ प्रोत्साहित करता रहे और मौका मिलने पर मिलन भी करा सके। लड़की की सहेली ऐसी होती हैं जो प्रेमिका के मनोभावों को अच्छी तरह समझकर उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने का काम कर सकती हैं और उसे मिलाने के रास्ते बना सकती हैं। इस तरह सहेली के द्वारा प्रेमिका जब अपने प्रेमी से मिलती है तो वह बिना किसी शील-संकोच के अपने मन की बात उसे बताती है।

प्रेमी को चाहिए कि प्रेमिका को जो भी वस्तु उपहार के लिए दे वह उसकी पसंद की होने के साथ-साथ ऐसी भी होनी चाहिए जो उसे प्यार की भी याद दिलाएं। प्रेमिका को उपहार देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपहार प्रेमिका की रुचि के अनुकूल होने के साथ ही वैवाहिक जीवन रति भावनाओं, कामकलाओं के भावों का बोध कराने वाली हो जिसे देखते ही प्रेमिका अपने भावी जीवन की सुन्दर कल्पनाएं करने लगे। प्रेमी के साथ रतिक्रीड़ा के लिए व्याकुल हो जाए उसकी रुचि तथा उसके चुनाव की प्रशंसा करें। इस तरह का उपहार पाकर प्रेमिका खुशी होकर प्रेमी पर गर्व करने लगती है। वे अपने प्रेमी के द्वारा दिए गए उपहार को अपनी सहेलियों को दिखाकर खुश होती है। इससे प्रेमिका की मानसिक ग्रंथियां अनायास खुल जाती हैं तथा वह मन ही मन अपने को प्रेमी के समक्ष आत्म समर्पण कर देती है।

किसी जगह पर प्रेमिका से मुलाकात हो जाने पर प्रेमी जब उससे कुछ बाते करता है तो वह हल्की मुस्कुराहट के साथ इठलाती हुई अस्पष्ट जवाब देती है।

कभी सहेलियों के बीच में प्रेमिका हो और बनाकर बात करती पास ही प्रेमी भी हो तो प्रेमिका अपनी सहेलियों से मुंह है ताकि प्रेमी उसे देखने लगे। उसकी यह ख्वाहिश बलवती बनी रहती है कि जब तक प्रेमी खड़ा रहे, वह भी उसी जगह पर स्थिर बनी हुई खड़ी रहे।

प्रेमी को देखकर प्रेमिका अजीब सी नाज-नखरे दिखाने लगती है। वह अपने सहेली से अपने कपड़े संवारने को कहती है और यदि बच्चा गोद में हो तो उसे चूमने लगती है। प्रेमिका द्वारा आकर्षित करने के इस व्यवहार को प्रेमी प्यार से देखता है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। इस तरह प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक-दूसरे से अपने प्यार का संदेश पहुंचाते हैं।

इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे कन्यासम्प्रयुक्त के तृतीयेऽधिकरणे बालोपक्रमा इङ्गिताकारसूचनं च तृतीयोऽध्यायः।।3।

भाग 3 कन्यासम्प्रयुक्तक

Free Hindi PDF Books

अध्याय 4 एक पुरूषाभियोग प्रकरण

श्लोक-1. दर्शितेङ्गिताकारां कन्यामुपायोऽमियुञ्जीत।।1।।

अर्थः प्रेमी अपने प्यार की बाते अपनी प्रेमिका से करता है और जब प्रेमिका उसके प्यार को स्वीकार कर लेती हैं तब दोनों में प्यार का संबंध बन जाता है।

श्लोक-2. ते क्रीडनकेषु च विवदमानः साकारमस्याः पाणिमवलम्बेत।।2।।

अर्थः इसके बाद दोनों मौका मिलने पर एक साथ खेलते हैं। प्रेमिका और प्रेमी जब एक साथ कोई खेल खेल रहे हों तो प्रेमी को चाहिए कि प्रेमिका का हाथ इस तरह प्यार से पकड़े कि उसके मन में प्यार का अनुभव होने लग जाए।

श्लोक-3. यथोक्तं च स्पृष्टकादिकमालिग्ङनविधि विदध्यात्।।3।।

अर्थः वात्स्यायन ने आलिंगन करने के चार प्रकार बताये हैं- स्पृष्टक, विद्धक, उद्दृष्टक तथा पीड़ितक। प्रेमिका का हाथ पकड़ने के बाद यदि वह प्रेमी के मनोभावों को समझ जाए तो प्रेमी को चाहिए कि इन चार प्रकार के आलिंगनों में से जो सही लगे उसी रूप में प्रेमिका को आलिंगन करें।

श्लोक-4. पत्रच्छेद्यक्रियां च स्वाभिप्रायसूचकं मिथुनमस्या दर्शयेत्।।4।।

अर्थः अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए प्रेमी को चाहिए कि प्रेमिका को चित्र बनाकर अपनी इच्छाओं को बताएं।

श्लोक-5. एबमन्यद्विरलशो दर्शयेत्।।5।।

अर्थः प्रेमी को चाहिए कि अपनी प्रेमिका को कभी-कभी मिथुन चित्र द्वारा भी अपनी बाते समझाएं।

श्लोक-6. जलक्रीडायां तददूरतोऽप्सु निमग्नः समीपमस्या गत्व स्पृष्टवा चैनां तत्रैवोन्मज्जेत्।।6।।

अर्थः यदि नदी, तालाब या स्वमिंगपूल में आप नहा रहे हैं और आपकी प्रेमिका भी वहां नहां रही हो तो प्रेमी को चाहिए कि वह प्रेमिका से दूर डुबकी लगाकर प्रेमिका के पास आकर उसका स्पर्श करे और अपना सिर पानी से बाहर निकालकर प्रेमिका को चौका दें।

श्लोक-7. नबपत्रिकादिषु च सविशेषभावनिवेदनम्।।7।।

अर्थः प्रेमी को चाहिए कि अपनी प्रेमिका को नए कोमल पत्तों पर अपने मन की इच्छा और भाव लिखकर दें।

श्लोक-8. आत्मदुःखस्यानिर्वेदेन कथनम्।।8।।

अर्थः प्रेमी को चाहिए कि वह अपनी बातों को बिना किसी दुखभाव से अपनी प्रेमिका से कहे।

श्लोक-9. स्वप्नस्य च भावयुक्तस्यान्यापदेशेन।।9।।

अर्थः प्रेमी को अपने मन की बाते अपनी प्रेमिका को किसी कहानी या सपने के द्वारा भी बतानी चाहिए।

श्लोक-10. प्रेक्षणके स्वजनसमाजे वा समीपोपवेशनम्। तत्रान्यापदिष्टं स्पर्शनम्।।10।।

अर्थः प्रेमी को चाहिए कि खेल-तमाशे देखते समय या परिवारों के बीच कोई कार्यक्रम हो तो प्रेमिका पास ही बैठे। इसके बाद मौका मिलने या किसी बहाने से प्रेमिका के अंगों को स्पर्श करने की कोशिश करें।

श्लोक-11. पाश्रयार्थं च चरणेन चरणस्य पीडनम्।।11।।

अर्थः इसके साथ ही प्रेमिका के शरीर के अंगों को अपने अंगों पर रखने के लिए उसके पैरों को अपने पैरों से दबाना चाहिए।

श्लोक-12. ततः शनकैरेकैकामग्ङलिमभिस्पृशेत्।।12।।

अर्थः इसके बाद प्रेमी को चाहिए कि प्रेमिका को धीरे-धीरे एक-एक अंगुली से छुएं।

श्लोक-13. पादाग्ङष्ठेन च नखाग्राणि घट्टयेत्।।13।।

अर्थः इसके बाद पैर के अंगूठे के नाखून की नोक से प्रेमिका के पैर पर भी चुभाना चाहिए।

श्लोक-14. तत्र सिद्धः पदात्पदमधिकमाकाङक्षेत्।।14।।

अर्थः यदि प्रेमिका के पास बैठकर उसके अंगों को स्पर्श करने पर वह कोई ऐतराज नहीं करती हो तो फिर अपने पैर को उसके पैर के ऊपर रखकर दबाना चाहिए।

श्लोक-15. क्षान्त्यर्थं च तदेवाभ्यसेत्।।15।।

अर्थः प्रेमिका के अंगों के स्पर्श करने और अपने पैरों से उसके पैरों पर घर्षण करने और अंगों को दबाने की क्रिया बार-बार करनी चाहिए।

श्लोक-16. पादशौचे पादाग्ङलिसंदेशेम तदङ्गुलिपीडनम्।।16।।

अर्थः प्रेमिका के पैरों को अपने पैर से दबाने के बाद पैर की अंगुलियों में उसके पैर की अंगुलियां फंसाकर दबाना चाहिए।

श्लोक-17. आचमनान्ते चोदकेनासेकः।।17।।

अर्थः प्रेमी को पानी पीते समय अपनी प्रेमिका पर थोड़ा सा पानी छिड़कना चाहिए।

श्लोक-18. विजने तमसि च द्वन्द्वमासीनः क्षान्तिं कुर्वीत। समानदेशशय्यायां च।।18।।

अर्थः यदि अकेले में अथवा अन्धेरे में एक-दूसरे से सटकर बैठे हुए हों तो प्रेमिका के अंगों को धीरे-धीरे इस प्रकार दबाएं कि वह सहन कर सके और साथ ही उससे आनन्द भी मिले सके। यदि एक ही चारपाई पर दोनों बैठे अथवा लेटे हों तो भी उसे नाखूनों से धीरे-धीरे उसके पैर पर चुभाते रहें।

श्लोक-19. तत्र यथार्थमुद्वेजयतो भावनिवेदनम्।।19।।

अर्थः प्रेमी को अपनी प्रेमिका को बिना उत्तेजित किए ही अपने मन की बाते बता देनी चाहिए।

श्लोक-20. विविक्ते च किंचिदस्ति कथयितव्यमित्युक्त्वा विर्वचनं भावं च तत्रोपलक्षयेत्।।20।।

अर्थः प्रेमिका जब कभी एकांत में मिले तो उससे प्रेमी को इतना ही कहना चाहिए कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब प्रेमिका पूछे कि क्या कहना चाहते हो तो प्रेमी को अपने मन की बाते बता देनी चाहिए और यह भी अनुभव करना चाहिए कि उसकी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है।

श्लोक-21. यथा पारदारिक वक्ष्यामः।।21।।

अर्थः इस तरह प्रेमिका से बात करने पर उस बात का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में आगे बताते हैं।

श्लोक-22. विदितभावस्तु व्याधिमपदिश्यैनां वार्ताग्रहणार्थं स्वमुदवसितमानयेत्।।22।।

अर्थः जब आप प्रेमिका को अपनी मन की बाते बता दें और उस बातों की प्रतिक्रिया अपने अनुकूल हो तो सिर दर्द आदि के बहाने अपने प्यार भरी बातों को बताने और उससे प्यार की बाते सुनने के लिए अपने घर बुलाएं।

श्लोक-23. आगतायाश्चशिरःपीडनेनियोगः। पाणिमवलम्ब्य चास्याः साकारं नयनयोर्ललाटे च निदध्यात्।।23।।

अर्थः घर आ जाने के बाद प्रेमिका से अपना सिर दबवाएं और उसका हाथ पकड़कर अपनी दोनों आंखों तथा सिर पर फेरे।

श्लोक-24. औषध्यापदेशार्थं चास्याः कर्म विनिर्दिशेत्।।24।।

अर्थः इसके बाद प्रेमिका से प्यार से बाते करते हुए प्रेमी को कहना चाहिए कि दवा से अधिक शक्ति तुम्हारे हाथों में हैं। तुम्हारे हाथों के छूने से ही सिर का दर्द अच्छा हो जाता है।

श्लोक-25. इदं त्वया कर्तव्यम्। नह्येतदृते कन्याया अन्येन कार्यमिति गच्छन्तीं पुनरागमनानुबन्धमेनां विसृजेत्।।25।।

अर्थः इस कार्य को तुम्हें ही स्वयं करना चाहिए। इस तरह की बाते कुवारी स्त्री को छोड़कर किसी और से नहीं करनी चाहिए। जब प्रेमिका घर से जाने लगे तो उसे दोबारा आने का आग्रह करना चाहिए।

श्लोक-26. अस्य च योगस्य त्रिरात्रं त्रिसंध्यं च प्रयुक्तिः।।26।।

अर्थः प्रेमिका को अपना बनाने के लिए प्रेमी को यह तरकीब तीन दिन तथा तीन रात अपनाना चाहिए।

श्लोक-27. अभीक्ष्णदर्शनार्थमागतायाश्च गोष्ठीं वर्धयेत्।।27।।

अर्थः घर आई प्रेमिका को बार-बार देखने के लिए प्रेमी को चाहिए कि उससे बातें करने की योजना बनाएं और बहाने करके उसे बार-बार घर बुलाएं।

श्लोक-28. अन्याभिरपि सह विश्वासनार्थमधिकमधिकं चाभियुञ्जीत। न तु वाचा निर्वदेत्।।28।।

अर्थः प्रेमिका को अपने पर विश्वास दिलाने और प्यार जताने के लिए प्रेमी को चाहिए कि अन्यायन्य गप्पे करें लेकिन अपने मुख से मतलब की बात न करें।

श्लोक-29. दूरगतभावोऽपि हि कन्यासु न निर्वेदेन सिद्धम्यतीतिघोटकमुखः।।29।।

अर्थः इस अधिकरण के सलाहकार आचार्य घोटकमुख का मानना है कि स्त्री को चाहे जितना भी यकीन दिलाया जाए तथा उनका पूरा यकीन हासिल कर लिया जाए लेकिन उससे दुख सहन करने तथा घर बार को त्याग करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

श्लोक-30. यदा तु बहुसिद्धां मन्येत तदैवोपक्रमेत्।।30।।

अर्थः प्रेमिका के ऊपर किए गए सभी प्रयोग जब सफल हो जाएं तभी उसके साथ सम्भोग के लिए तैयारी करनी चाहिए।

श्लोक-31. तत्र कालमाहः प्रदोषे निशि तमसि च योषितो मन्दसाध्वसाः सुरतव्यवसायिन्यो रागवत्यश्च भवन्ति। न च पुरुषं प्रत्याचक्षते। तस्मातत्कालं प्रयोजयितव्य इति प्रायोवादः।.31।।

अर्थः प्रदोषकाल, रात के समय तथा अंधेरे में जब कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ता हो ऐसे समय में प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने और संभोग करने की ख्वाहिश करती है। ऐसे समयों में युवती में सेक्स की उत्तेजना बढ़ती है जिसका परिणाम यह होता है कि वह सेक्स के लिए मना नहीं कर पाती।

श्लोक-32. एकपुरुषाभियोगानां त्वसंभवे गृहीतार्थया धात्रेयिकया संख्या वा तस्यामन्तर्भूतया तमर्थमनिर्वदन्त्या सहैनामङ्कमानाययेत्। ततो यथोक्तमभियुञ्जीत्।।32।।

अर्थः यदि प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे से दूर हो और प्रेमिका को अपने प्रेमी के पास अकेले जाना मुमकिन न हो तो उसे अपनी सहेली के साथ प्रेमी के घर जाना चाहिए। इसके बाद प्रेमी-प्रेमिका को मिलन करना चाहिए।

श्लोक-33. स्वां वा परिचारिकामादावेव सर्खत्वेनास्याः प्रणिदध्यात्।।33।।

अर्थः या फिर प्रेमी को चाहिए कि वह अपने विश्वासपात्र लड़की या लड़के को उसके पास छोड़ दें।

श्लोक-34. यज्ञे विवाहे यात्रायामुत्सवे व्यसने प्रेक्षणकव्यापृते जने तत्र तख च दृष्टेङ्गिताकारां परीक्षितभावामेकाकिनीमुपक्रमेत।।34।।

अर्थः यज्ञ, शादी, यात्रा, उत्सव, मुसीबत आदि में लोग प्रायः व्यग्र हो जाते हैं। इस तरह के मौकों पर प्रेमी अपनी प्रेमिका से उस स्थिति में गान्धर्व विवाह कर सकता है लेकिन ऐसा तभी करना चाहिए कि जब प्रेमिका को अपने बारे में सब कुछ बता दिया हो और वह भी आप पर विश्वास करती हो।

श्लोक-35. नहि दृष्टभावा योषितो देशो काले च प्रत्युज्यमाना व्यावर्तन्त इति वात्स्यायनः। इत्येकपुरुषाभियोगाः।।35।।

अर्थः आचार्य वात्स्यायन के अनुसार यदि प्रेमिका के भावों की परीक्षा अनेक बार हो चुकी हो। ऐसी प्रेमिका यज्ञ आदि के समय संकेत पाकर भी उस पर ध्यान नहीं देती हैं। वात्स्यायन द्वारा प्रेमी-प्रेमिका के मिलन का यह उपाय बताया है। इन उपयों द्वारा एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से अपने प्यार की बाते कर सकता है और उसे पा सकता है।

श्लोक-36. मन्दापदेशा गुणवत्यपि कन्या धनहीना कुलीनापि समानैरयाच्यमाना मातापितृवियक्ता वा ज्ञातिकुलवर्तिनी वा प्राप्त-यौवनापाणिग्रहणं स्वयमभीत्सेत।।36।।

अर्थः लड़की नीचकुल में जन्म लेने के बाद भी गुणवती हो लेकिन उसके घर वाले कुल न मिलने के कारण उसकी शादी उस लड़के से नहीं करना चाहते हों जिसे वह पसंद करती है या लड़का-लड़की एक कुल का होने के बाद भी गरीबी के कारण लड़के की शादी उससे न हो रही हो या अन्य कुल में जन्म होते हुए भी उसके माता-पिता न हो और वह युवती हो तो ऐसी लड़कियों को स्वयं ही अपने पसंद के लड़के से शादी कर लेनी चाहिए।

श्लोक-37. सा तु गुणवन्तं शक्तं सुदर्शन बालप्रीत्याभियोजयेत्।।37।।

अर्थः इस तरह की युवती किसी ऐसे गुणवान, शक्तिशाली सुन्दर युवक के साथ शादी कर सकती है जो उसके बचपन का साथी हो।

श्लोक-38. यं वा मन्येत मातापित्रोरसमीक्षया स्वयमप्ययमिन्द्रियदौर्बल्यान्मयि प्रवर्तिष्यत इति प्रियहितोपचारैरभीक्ष्णसंदर्शनेन च तमावर्जयेत्।।38।।

अर्थः युवती को वैसे युवक पर विश्वास करना चाहिए जो अपने माता-पिता की परवाह किए बिना उसकी ओर आकर्षित हो गया हो और उस पर विश्वास करता हो। ऐसे युवक को युवती अपने हाव-भाव दिखाकर तथा अन्य उपायों से अपनी तरफ आकर्षित कर उससे शादी कर सकती हैं।

श्लोक-39. विमुक्तकन्याभावा च विश्वास्येषु प्रकाशयेत्। इति प्रयोज्यस्योपावर्तनम्।।39।।

अर्थः इस तरह प्रेमी-प्रेमिका के मिलने के बाद जब दोनों सेक्स संबंध बना लेते हैं तो प्रेमिका को चाहिए कि वह अपने विश्वस्त सहेलियों को यह बात बता दें कि उसने अपने प्रेमी के साथ पहला सेक्स संबंध बनाया है।

भवन्ति चात्र श्लोकाः-

इस संबंध में कुछ श्लोक हैः-

श्लोक-40. कन्याभियुज्यमाना तु यं मन्येताश्रयं सुखम्। अनुकूलं च वश्यं च तस्य कुर्यात्परिग्रहम्।।40।।

अर्थः इस श्लोक के अनुसार वात्स्यायन कहते हैं कि लड़की अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र होती है।

श्लोक-41. अनपेक्ष्य गुणान्यत्र रूपमौचित्यमेव च। कुर्वीत धनलोभेन पति सापत्नकेष्वापि।।41।।

अर्थः जिस स्त्री को धन का लोभ हो उसे चाहिए कि रूप और गुण को न देखकर किसी भी पैसे वाले पुरूष के साथ विवाह कर लें।

श्लोक-42. तत्र युक्तगुणं वश्यं शक्तं बलवदर्थिनम्। उपायैरभियुञ्जानं कन्या न प्रतिलोभयेत्।।42।।

अर्थः स्त्री को ऐसे पुरूष को अपना पति बनाने की इच्छा रखनी चाहिए जो गुणवान हो, वशवर्ती हो, सामर्थ्यवान हो और जो आपकी ओर आकर्षित हो।

श्लोक-43. वरं वश्यो दरिद्रोऽपि निर्गुणोऽप्यात्मधारणः। गुणैर्युक्तोऽपि न त्वेवं बहुसाधारणः पतिः।।43।।

अर्थः जिस युवक में गुण की कमी हो, गरीब हो, आत्मनिर्भर हो और वश में रहने वाला हो उससे युवती को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति गुणवान होते हुए भी व्यभिचारी हो उससे शादी कभी नहीं करनी चाहिए।

श्लोक-44. प्रायेण धनिनां दारा बहवो निरवग्रहाः। बाहो सत्युपभोगेऽपि निर्विस्त्रम्भा बहिःसुखाः।।44।।

अर्थः अमीर लोगों के घरों में काफी सारी स्त्रियां रहती हैं लेकिन प्रायः वे निरंकुश हुआ करती हैं क्योंकि उन्हें बाहरी सुख मिलते हुए भी भीतरी सुख नहीं मिल पाता है।

श्लोक-45. नीचो यस्त्वभियुञ्जीत पुरुषः पत्नितोऽपि् वा। विदेशगतिशीलश्च न स संयोगमर्हतिः।।45।।

अर्थः जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं या बूढे या परदेश में रहने वाले लोग होते हैं उनसे शादी नहीं करनी चाहिए।

श्लोक-46. यद्च्छयाभियक्तो यो दम्भयताधिकोऽपि वा। सपत्नीकश्च सापत्यो न स संयोगनमर्हति।।46।।

अर्थः स्त्री को ऐसे पुरूष से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए जो स्त्री के इच्छा के खिलाफ सेक्स संबंध बनाता हो। ऐसे पुरूष जो प्यार करता हो लेकिन शादी के लिए कहने पर बहाने बनाते हो तथा कपटी और जुआरी पुरुष से भी शादी नहीं करनी चाहिए। विवाहित पुरूष जिसके बच्चे हो उससे भी शादी नहीं करनी चाहिए।

श्लोक-47. गुणसाम्येऽभियोकृणामेको वरयिता वरः। तत्रामियोक्तरि श्रैष्ठम्यमनुरागात्मको हि सः।।47।।

अर्थः यदि युवती की शादी करने वाले पुरुषों में सभी गुणवान हो तो युवती को उसी से विवाह करनी चाहिए जिससे वह ज्यादा प्यार करती हो।

आचार्य वात्स्यायन ने प्रेमी-प्रेमिका को एक होने के लिए दो प्रकार बताया है- बाह्य तथा आभ्यांतर। बाहरी उपायों के द्वारा प्रेमी-प्रेमिका आपस में शतरंज या पत्ते खेलते हैं और प्रेमी खेल के बीच में ही वह बातों का ऐसा विवाद छिड़ देता है जिसमें दोनों ही अपनी मन की बाते कह देते हैं। इसके बाद जब प्रेमिका जाने लगती है तो प्रेमी उसका हाथ इस तरह पकड़ता है जिसे विवाह के समय युवक-युवती का हाथ पकड़ता है। इस तरह हाथ पकड़ने से प्रेमिका को यह अहसास हो जाता है कि यह मेरे साथ गन्धर्व विवाह करना चाहता है। इसके अतिरिक्त प्रेमी, प्रेमिका को अपने मन की बाते बताने के लिए विभिन्न प्रकार का चित्र दिखाता है, कभी मौका मिलते ही उसे आलिंगन करता है, जलक्रीड़ा करते समय उसके अंगों को छूटा है, कभी अपने दिल के दर्द बहाने उसे अपने पास बुलाता है। उत्सव आदि में प्रेमी-प्रेमिका एक साथ बैठते हैं, अपने पैर से उसके पैर को छूता है, पैरों को पैर से दबाता है। अंधेरे में जब कोई न देख रहा हो तो उस समय प्रेमी-प्रेमिका के पैरों के ऊपर हाथ फेरता है, फिर उसके जांघों, नितम्बों, पेट, पीठ तथा स्तनों पर हाथ फेरता है और नाखूनों को गड़ाता है। जब प्रेमी के द्वारा किए गए हरकतों को प्रेमिका चुपचाप सहन करती है तो फिर प्रेमी नीचे, ऊपर शरीर के अंग-अंग पर हाथ फेरता है।

जब प्रेमी इन बाहरी स्पर्शों द्वारा प्रेमिका को अपने प्यार के बंधन में बांध लेता है तो बाहरी और भीतरी दोनों उपायों का प्रयोग करता है। बाहरी और भीतरी उपायों में प्रेमिका जिस जगह भी मिल जाती है प्रेमी उससे छेड़छाड़ शुरू करने लगता है। प्रेमी जब मिलने पर कोई चीज उसे देता है तो वह उस पर शर्म व लज्जा भाव पैदा करने वाले निशान लगा देता है। प्रेमी-प्रेमिका जब किसी कार्यक्रम के दौरान अंधेरे में एक-दूसरे से सटकर बैठे हुए होते हैं तो प्रेमी प्रेमिका के नितम्ब या स्तनों पर इस तरह से चुटकी काटता है कि वह उसे सहन कर सके तथा उसे अनुभूति भी हो। इस तरह अंधेरे के मौके का फायदा उठाकर प्रेमिका के साथ छेड़छाड़ करने से उसे शर्म नहीं आती क्योंकि अंधेरे और अकेले में प्रेमिका के मन में शर्म का भाव पैदा नहीं होता बल्कि प्रेमी के इस तरह चुटकी काटने और सहलाने से उसे आनन्द व सकून मिलता है। इसलिए अंधेरे का फायदा उठाकर प्रेमी-प्रेमिका सेक्स संबंध भी बना सकते हैं।

वात्स्यायन ने इस प्रकार के प्रेमी-प्रेमिकाओं के लिए सेक्स संबंध का उचित समय और मौका बताते हुए कहा है कि उचित समय, रात और अंधेरे में यदि प्रेमिका से सेक्स संबंध के लिए अनुरोध किया जाए तो वह इन्कार नहीं करती है क्योंकि प्रेमिका सेक्स के लिए ऐसा स्थान चाहती है कि उसे कोई न देख सके। इसके अतिरिक्त प्रेमी के द्वारा सेक्स के लिए कहने पर प्रेमिका मना नहीं करती जब प्रेमिका के मन में उत्तेजन का भाव पैदा होता है, काम वासनाएं उमड़ पड़ती हैं और वह स्वयं सेक्स के लिए लालायित हो उठती है। इस तरह की मनोदशा में प्रेमिका अपने आप तो कुछ कहती नहीं है लेकिन जब प्रेमी उससे सेक्स के लिए कहता है तो वह मना नहीं करती।

आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि जिस तरह गरीब और हीन कुल का युवक अपने से ऊंचे कुल या समान वर्ग की लड़की से शादी करना चाहता है लेकिन किसी कारण वश वह नहीं मिल पाती। ऐसी लड़की को पाने के लिए युवक को चाहिए कि उस लड़की को प्यार से अपनी ओर आकर्षित करके उसे पाने की कोशिश करें। उसी तरह यदि कोई लड़की गरीब या अनाथ हो और उसकी शादी मनोभिलाषित युवक से होना संभव न हो तो लड़की को भी अपने पसंद के युवक को अपने प्यार से आकर्षित करके पाने की कोशिश करनी चाहिए। आचार्य वात्स्यायन ने लड़की और लड़के दोनों के लिए ही बाहरी और आंतरिक उपायों को बताया है जिससे वह अपनी इच्छे के अनुसार लड़की या लड़के से शादी कर सकता है। ऐसी युवती जो किसी पुरुष के साथ प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है और वह उसे एकांत अंधेरे में मिल जाता है जिसके साथ लड़की गान्धर्व विवाह करना चाहती है, ऐसे युवक का ऐसा स्वागत करना चाहिए जिसमें कामशास्त्र के 64 कलाओं में से किसी एक कला का कौशल प्रकट हो।

आकर्षित पुरूष की तरह ही बातें करे, उसकी हर बात का अनुमोदन करें। हर काम का अनुकरण करें लेकिन उसे थोड़े कहने पर या संकेत मात्र से ही सेक्स के लिए तैयार न हो जाएं। ज्यादा कामातुर होने पर भी अपने आप संभोग के लिए कोई कोशिश नहीं करें और न कोई उतावलापन दिखाएं।

आचार्य वात्स्यायन का मत है कि खुद संभोग के लिए प्रयत्न करने वाली स्त्रियां का सौभाग्य नष्ट हो जाता है अर्थात पुरुष उसे गलत समझने लगता है और उसकी अवहेलना करने लग जाता है। उससे अपना मन बिल्कुल हटा लेता है। हां यदि पुरुष सेक्स की कोई क्रियाएं करना चाहता है तो स्त्री उन क्रियाओं को अनुकूलता से स्वीकार कर ले, नहीं-नहीं की ज्यादा जिद्द न करें।

इस प्रकार युवती को एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब उसे यह पूरा यकीन हो जाए कि प्रेमी हर कीमत पर मेरा साथ निभाएगा तभी उसके साथ सेक्स संबंध बनाएं अन्यथा न करें।

इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे कन्यासम्प्रयुक्तके तृतीयेऽधिकरणे एकपुरुषभियोगा अभियोगतश्च कन्यायाः प्रतिपत्तिश्चतुर्थोऽध्यायः।।

भाग 3 कन्यासम्प्रयुक्तक

अध्याय 5 विवाह योग प्रकरण

श्लोक-1. प्राचुर्येण कन्याया विविक्तदर्शनस्यालाभे धात्रेयिकां प्रियहिताभ्यामुपगृह्योपसर्पेत्।।1।।

अर्थः यदि कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है लेकिन अकेले में उससे बाते करने का मौका नहीं मिलता हो तो उसे चाहिए कि लड़की की सहेली के साथ दोस्ती करके उससे अपने मन की बाते बताएं।

श्लोक-2. सा चैनामविदिता नाम नायकस्य भूत्वा तद्गुणैरनुरञ्जयेत्। तस्याश्च रुच्यात्रायकगुणान्भूयिष्ठमुपवर्णयेत्।।2।।

अर्थः लड़की की सहेली ऐसी होनी चाहिए जो लड़के के गुणों के बारे में, उसके अच्छे व्यवहार के बार में लड़की को बताएं। उसके बारे में इस तरह की बातें बनाकर बताएं जो लड़की को अच्छी लगे।

श्लोक-3. अन्येषां वरयितृणां दोषानभिप्रायविरुद्धान्प्रतिपादयेत्।।3।।

अर्थः लड़की की सहेली ऐसी हो जो उन अवगुणों की निन्दा करें जिन्हें प्रेमिका पसंद न करती हो। इस तरह सहेली के द्वारा प्रेमी की अच्छी बाते सुनकर प्रेमिका उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं।

श्लोक-4. मातापित्रोश्च गुणानभिज्ञतां लुब्धतां च चपलतां च बान्धवानाम्।।4।।

अर्थः सहेली को प्रेमिका को यह भी बताना चाहिए कि उसके माता-पिता नासमझी और लालच की वजह से तुम्हारी शादी किसी अमीर लड़के के साथ कर देगा, फिर तुम क्या करोगी जबकि वह लड़का तुमसे प्यार करता है और तुम्हें खुश रखेगा।

श्लोक-5. याश्चान्या अपि समानजातीयाः कन्याः शकुन्तलाद्याः स्वबुद्धया भर्तारं प्राप्य संप्रयुक्ता मोदन्तेस्म ताश्चास्या निदर्शयेत्।।5।।

अर्थः प्रेमिका के मन में प्रेमी के लिए रुचि तेज करने के लिए स्वयं अपना वर चुनने वाली उसकी जाति की लड़कियों और शकुन्तला आदि की प्राचीन कहानियां सुनाकर उसे अपनी इच्छा से पति चुनने के लिए उकसाना चाहिए।

श्लोक-6. महाकुलेषु सापत्नकैर्बाध्यमाना विद्विष्टाः दुःखिताः परित्यक्ताश्च दृश्यन्ते।।6।।

अर्थः सहेली को चाहिए कि प्रेमिका को बताए कि अच्छे और अमीर घरों में शादी करने वाली स्त्रियां कितनी दुखी रहती हैं, दूसरी शादी करने के बाद किस तरह पहली पत्नी को सताया जाता है। अमीर घरों में शादी करने से किस तरह का कलह तथा दुखों का सामना करना पड़ता है।

श्लोक-7. आयतिं चास्य वर्णयेत्।।7।।

अर्थः प्रेमिका की सहेली को चाहिए कि वह प्रेमी के उन गुणों के बारे में भी बताए जिसकी वजह से शादी के बाद उसका भविष्य उज्ज्वल होगा।

श्लोक-8. सुखमनुपहतमेकचारितायां नायकानुरागं च वर्णयेत्।।8।।

अर्थः उसे कहे कि अनुरक्त पति की अकेली पत्नी बनने में बड़ा आनन्द मिलता है इसलिए कि सौतनों का झमेला नहीं रहता है। इसके साथ ही प्रेमी के एक पत्नीव्रत वाले गुण तथा स्वभाव भी उससे बताएं।

श्लोक-9. समनोरथायाश्चास्या अपायं साध्वसं व्रीडां च हेतुभिपवच्छिन्द्यात्।।9।।

अर्थः जब प्रेमिका की सहेली यह समझ ले कि प्रेमिका उसके बताए हुए प्रेमी की तरफ आकर्षित हो रही है तो समुचित निमित्तों द्वारा वह प्रेमिका के डर तथा लज्जा को दूर करने की कोशिश करे।

श्लोक-10. दूतीकल्पं च सकलमाचरेत्।।10।।

अर्थः उस सहेली को चाहिए कि पारदारिक अधिकरण में बताए गए सभी दूती (दूत) कार्य को उस वक्त काम में लाए।

श्लोक-11. त्वामजानतीमिव नायको वलाद्ग्रहीष्यतीति तथा सुपरिगृहीतं स्यादिति योजयेत्।।11।।

अर्थः उससे कह दें कि प्रेमी तुम्हें अपरिचिता की तरह उठाकर ले जाएगा तो लोग तुम्हे दोषी भी नहीं ठहराएगा और तेरा मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा।

श्लोक-12. प्रतिपन्नामभिप्रेतावकाशवर्तिनीं नायकः श्रोत्रियागारादग्निमानाय्य कुशानास्तीर्य यथास्मृति हुत्व च त्रिः परिक्रमेत्।।12।।

अर्थः इस प्रकार बताने के बाद जब प्रेमिका अपने पिता के घर से निकल जाए, किसी तरह का डर एवं आशंका बाकी न रह जाए तब किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर से यज्ञ, अग्नि लाकर धर्मशास्त्र के मुताबिक हवन करके प्रेमी-प्रेमिका दोनों को उसे अग्नि की तीन बार परिक्रमा कराकर शादी करा देनी चाहिए।

श्लोक-13. ततोमातरि पितरि च प्रकाशयेत्।।13।।

अर्थः शादी हो जाने के बाद प्रेमी-प्रेमिका दोनों को अपने-अपने माता-पिता को इसकी सूचना दे देनी चाहिए।

श्लोक-14. अग्निसाक्षिका हि विवाहा न निवर्तन्त इत्याचार्यसमयः।।14।।

अर्थः आचार्यों का मत है कि अग्नि की साक्षी में किया गया विवाह अवैध नहीं होता।

श्लोक-15. दृषयित्वा चैनां शनैः स्वजने प्रकाशयेत्।।15।।

अर्थः इस तरह प्रेमी जब प्रेमिका से शादी करने के बाद उसके साथ सुहागरात मना ले तो फिर प्रेमिका और अपने परिवार वालों से सच्ची बात बता दें।

श्लोक-16. तद्वान्धवाश्च यथा कुलस्याघं परिहरन्तो दण्डभयाच्च तस्मा एवैनां दद्युस्तथा योजयेत्।।16।।

अर्थः या फिर कोई ऐसा काम करना चाहिए कि प्रेमिका के माता-पिता कुल कलंक से भयभीत होकर उसी को अपनी लड़की का वर मान लें। जब इस तरह कूटनीति से वह लड़की उस प्रेमी को मिल जाए तो प्रेमी व्यवहार और सुन्दर उपहारों द्वारा प्रेमिका के बन्धु-बान्धवों को राजी करें।

श्लोक-17. गान्धर्वेण विवाहेन वा चेष्टेत।।17।।

अर्थः यदि इस तरह के उपायों से प्रेमिका के माता-पिता को शादी के लिए राजी करने में सफलता मिलना मुमकिन न हो तो प्रेमी-प्रेमिका को गन्धर्व विवाह कर लेना चाहिए।

श्लोक-18. अप्रतियमानायामन्तश्चारिणीमन्यां कुलप्रमदां पूर्व संसृष्टाप्रीयमाणां चोपगृह्य तथा सह विषह्यमवकाशमेनामन्यकार्यापदेशेनानाययेत्।।18।।

अर्थः यदि प्रेमिका अपने आप प्रेम विवाह करने में असमर्थ हो तो दोनों के बीच की बाते बताने वाले और प्रेमिका के माता-पिता से घनिष्ठ स्नेह संबंध रखने वाली किसी कुलवधु को मध्यस्थ बनाकर उसे धन का लालच देकर किसी बहाने गुप्तचरों द्वारा उस लड़की को अपने यहां बुलाएं।

श्लोक-19. ततः श्रोत्रियागारादग्निमिति समानं पूर्वेण।।19।।

अर्थः इसके बाद प्रेमी-प्रेमिका को ब्राह्मण के घर से अग्नि लाकर दोनों के फेरे लगवाकर शादी करा देनी चाहिए।

श्लोक-20. आसन्ने च विवाहे मातरमस्यास्तदभिमतदोषैरनुशयं ग्राहयेत्।।20।।

अर्थः यदि प्रेमिका के माता-पिता ने किसी और के साथ उसकी शादी तय कर दी हो और विवाह का समय पास आ गया हो तो उस वक्त प्रेमिका की सहेली या जो भी दोनों के बारे में सोचने वाले हो उसे चाहिए कि जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली हो उसके बारे में प्रेमिका की मां को उलटी-सीधी बाते करके मन और मस्तिष्क बिगाड़ दें। इस तरह की बाते करने पर जब यह पता चल जाए कि उसकी मां प्रेमिका की शादी उस लड़के से नहीं होने देगी तो फिर प्रेमी के गुणों का बखान करना शुरू कर दें। इस तरह की कूटनीत से प्रेमिका की मां और परिवार वालों को दोनों की शादी के लिए राजी कराना चाहिए।

श्लोक-21. ततस्तदनुमतेन प्रातिवेश्याभवने निशि नायकामामाय्य श्रेत्रियागारादग्निमिति सधानं पूर्वेण।।21।।

अर्थः प्रेमिका की मां पहले से शादी तय हुए लड़के से मन हटाकर जब लड़की की सहेली के द्वारा बताए प्रेमी से अपनी लड़की की शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो उसी के पड़ोसिन के घर में यज्ञ कुंड बनाकर आग जलाकर प्रेमी-प्रेमिका की शादी चुपचाप करा दें।

श्लोक-22. भ्रातरमस्या वा समानवयसं वेश्यासु परस्त्रीषु वा प्रसक्त मसुकरेण साहाय्यदानेन प्रियोपग्रहैश्च सुदीर्घकालमनुरञ्जयेत्। अन्ते च स्वाभिप्रायं ग्राहयेत्।।22।।

अर्थः यदि कोई पुरूष किसी वेश्या या किसी दूसरे स्त्री से प्यार करता है और उसे अपना बनाकर रखना चाहता है तो प्रेमी को चाहिए कि वह उस स्त्री के किसी ऐसे भाई का सहारा ले जो लगभग उसी के उम्र का हो। प्रेमिका के भाई को कुछ मदद देकर काफी दिनों तक उसे अपनी तरफ आकर्षित और अनुरक्त बनाने के बाद उससे अपनी इच्छा बता दें।

श्लोक-23. प्रायेण हि युवानः समानशीलव्यसनलयसां वयस्यानामर्थे जीवितमपि त्यजन्ति। ततस्तेनैवान्यकार्यतामानाययेत्। विपह्यं सावकाशमिति समानं पूर्वेण।।23।।

अर्थः यह बात तय है कि प्रायः युवक अपने समान स्वभाव और समान उम्र के दोस्तों के लिए आवश्यकता पड़ने पर जान तक न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए प्रेमिका के भाई को ही जरिया बनाकर प्रेमिका को किसी अकेले स्थान में बुलाकर अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेनी चाहिए।

श्लोक-24. अष्टमीचन्द्रिकादिषु च धात्रेयिका मदनीयमेनां पाययित्वा किंचिदात्मनः कार्यमुद्देश्य नायकस्य विषह्यं देशममानयेत्। तत्रैनां पदात्संज्ञामप्रतिपद्यमानां दूषयित्वेति समानं पूर्वेण।।24।।

अर्थः दशहरा, दिवाली आदि उत्सवों पर प्रेमिका की सहेली को चाहिए कि वह प्रेमिका को मादक पदार्थ पिलाकर अपने किसी कार्य के बहाने उसे किसी अंधेरे व खाली स्थान पर ले जाएं। इसके बाद प्रेमी-प्रेमिका का मिलन कराकर उसे दूषित करा दें अर्थात दोनों आपस में संबंध बना लें। फिर लड़की की सहेली को चाहिए कि वह इस बात को प्रेमिका के परिवार वाले को बता दें।

श्लोक-25. सुप्तां चैकचारिणीं धात्रेयिकां वारयित्वा संज्ञामप्रतिपद्यमानां दुषयित्वेति समानं पूर्वेण।।24।।

अर्थः सोई हुई, अकेले कहीं जाती हुई या नशीली वस्तुएं खिलाकर बेहोश की हुई प्रेमिका को दूषित करके, फिर लोगों से प्रकट कर देना तथा उसे अपनी बना लेना पैशाच विवाह है।

श्लोक-26. ग्रामान्तरमुद्यानं वा गच्छन्तीं विदित्वा सुसंभृतसहायो नायकस्तदा रक्षिणो वित्रास्य हत्वा वा कन्यामपहरेत्। इति विवाहयोगः।।26।।

अर्थः जब प्रेमी को यह मालूम हो जाए कि प्रेमिका बगीचे या किसी दूसरे स्थान पर घूमने जा रही है तो अपने सहायकों के साथ जाकर उसके साथ जाने वाली सहेली आदि को डराकर उसका अपहरण करके शादी कर लें। इस तरह का विवाह राक्षस विवाह कहलाता है।

श्लोक-27. पूर्वः पूर्वः प्रधानं स्याद्विवाहो धर्मतः स्थितेः। पूर्वाभावे ततः कार्यो यो य उत्तर उत्तरः।।27।।

अर्थः धार्मिक दृष्टि से विचार विधि की अपेक्षा पश्चात् के सभी विवाह उत्तरोत्तर निकृष्ट हैं।

श्लोक-28. व्यूढानां हि विवाहानामनुरागः फल यतः। मध्यमोऽपि हि सद्योगो गान्धर्वस्ते पूजितः।।28।।

अर्थः विवाह का उद्देश्य होता है प्रेमी-प्रेमिका के बीच प्यार बढ़ाना। यदि प्रेमी-प्रेमिका के बीच प्यार न हो तो उनका विवाह निष्फल होता है। इस प्रेमी-प्रेमिका के बीच गन्धर्व विवाह उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें प्रेम और विश्वास का सुन्दर योग होता है।

श्लोक-29. सुखत्वादबहुरक्लेशादपि चावरणादिह। अनुरागात्मकत्वाच्च गान्धर्वः प्रवरो मतः।।29।।

अर्थः प्रेमी-प्रेमिका द्वारा गान्धर्व विवाह करना सुखद, थोड़े से कोशिश से विवाह होने वाले, बिना किसी कष्ट या झंझट तथा रीतिरिवाजों से हटकर प्रेम प्रधान होता है।

सामाजिक रूप से चार दिव्य विवाहों का उल्लेख किया गया है जिनमें युवक-युवती को विवाह करने के लिए कोशिश नहीं करना पड़ता। लेकिन जिन युवक या युवतियों को अपनी इच्छा के अनुसार युवती या युवक नहीं मिलते हैं, उनके लिए वात्स्यायन ने गान्धर्व विवाह बताया है। आचार्य ने प्रेमी-प्रेमिका को सुझाव दिया है कि इस हालत में उन्हें गान्धर्व विवाह कर लेना चाहिए। जो प्रेमी मनचाही प्रेमिका से विवाह न कर सकता हो वे उसके माता-पिता को धन देकर विवाह कर लें। इस तरह का विवाह असुर विवाह कहलाता है। यदि प्रेमिका के माता-पिता को धन देने पर भी वह उसको हासिल न हो तो प्रेमी को चाहिए कि प्रेमिका का अपहरण करके उसके साथ शादी कर ले। इस तरह जो प्रेमी अपने प्रेमिका से शादी करता है उसे राक्षस तथा पैशाच विवाह कहते हैं।

यदि बाह्म आदि दिव्य विवाह विधि से प्रेमी को अपने मन पसंद प्रेमिका से विवाह करना संभव न हो तो प्रेमिका के इच्छा होने पर गान्धर्व विवाह कर लेना चाहिए। यदि आसुर, राक्षस, पैशाच विधि से शादी करना सर्वथा वर्ज्य समझते हैं। गान्धर्व विवाह में सबसे पहले प्रेमिका को विवाह के लिए राजी करना आवश्यक होता है, बिना उसके राजी हुए गान्धर्व विवाह मुमकिन नहीं हो सकता।

भारत में गान्धर्व विवाह का प्रचलन काफी समय से चला आ रहा है और इस विवाह की लोकप्रियता चारों ओर फैली है। राजपूत और क्षत्रिय जो स्वयंवर द्वारा शादी करते थे, वह भी गान्धर्व विवाह ही था। इस स्वयंवर में लड़की जिसको वरमाला पहना देती थी, उसी से उसकी शादी हो जाती थी। लेकिन स्वयंवर के बाद विधिवत गृहसूत्र के आधार पर अग्नि को साक्षी मानकर विवाह संस्कार भी किया जाता था। नल दमयन्ती, अज-इन्दुमती, राम-सीता, मालती-माधव आदि के विवाह इसी प्रकार सम्पन्न हुए थे।

प्रथम कोटि के गान्धर्व विवाह- आचार्य वात्स्यायन के अनुसार युवक-युवती का गान्धर्व विवाह हो जाने के बाद जब दोनों सुखीपूर्वक एक साथ रहने लग जाए तो युवती के माता पिता को इसके बारे में सूचित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके माता-पिता को खुश करने का भी उपाय करना चाहिए। गान्धर्व विवाह कर लेने का अर्थ यह नहीं कि विवाहिता युवती का संबंध उसके परिवार वालों से छूट जाता है। यही कारण है कि वात्स्यायन ने गान्धर्व विवाह को सर्वश्रेष्ठ बताया है।

मध्यम कोटि के गान्धर्व विवाह- प्रथम कोटि के गान्धर्व विवाह का वर्णन करने के बाद आचार्य वात्स्यायन मध्यम कोटि के गान्धर्व विवाह के अंतर्गत प्रेमिका के सहेली के द्वारा प्रेमी का वर्णन करके उसे प्रेमी की ओर आकर्षण बढ़ाता है। यदि प्रेमी-प्रेमिका के विवाह के बीच में उसके माता-पिता बाधा डालतें हैं तो प्रेमिका की सहेली या किसी अन्य की सहायता लेकर युवती की मां को धन आदि देकर प्रेमी-प्रेमिका के विवाह के लिए तैयार करके उनकी इच्छा के अनुसार प्रेमिका को किसी बहाने से घर से बाहर ले जाकर प्रेमी के साथ अग्नि को साक्षी मानकर गान्धर्व विवाह करा देना चाहिए।

तीसरी कोटि के गान्धर्व विवाह- इस गान्धर्व विवाह के बारे में वात्स्यायन कहते हैं कि इस गान्धर्व विवाह में युवक जिस युवती से प्यार करता है, उसके भाई को उपहार आदि देकर अपने वश में कर लेता है। इसके बाद युवक युवती के भाई को साफ-साफ बता देता है कि वह उसकी बहन से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। इस तरह भाई का सहारा लेकर अपनी प्रेमिका तक अपनी बातों को पहुंचाकर उससे गान्धर्व विवाह कर लिया जाता है। यह तीसरे प्रकार का गान्धर्व विवाह कहलाता है।

गान्धर्व विवाह के इन तीनों प्रकार को बताने के बाद वात्स्यायन कुछ अन्य प्रकार के विवाह के बारे में कहते हैं कि किसी लड़की का अपहरण करके उसके साथ जहरदस्ती शादी करता है या उसके सतीत्व को नष्ट करके विवाह करता है उसे राक्षस विवाह कहते हैं। यह भी धर्म के विरुद्ध है क्योंकि इसमें अग्नि का आवाहन तथा हवन आदि कोई धार्मिक कार्य नहीं होता है। आचार्य वात्स्यायन ने राक्षस विवाह को पैशाच से अच्छा माना है क्योंकि इस विवाह में साहस कार्य प्रधान है।

आचार्य मध्यम कोटि के गान्धर्व विवाह को ही सबसे प्रधान मान है क्योंकि शादी का चरम परिणाम वैवाहिक प्रेम ही है जबकि गान्धर्व विवाह शुरू से ही प्रेम का माध्यम है।

इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे कन्यासम्प्रयुक्तके तृतीयेऽधिकरणे विवाहयोगः पश्चमोध्यायः।।